

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 755 वीं बैठक दिनांक 21/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

- 1. Case No. 9162/2022 Shri Udyal Umamaheswara Reddy, Director, M/s MAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.) - 477114.Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity-0.5 MTPA) located at village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.). Cat.: 2(b) Mineral beneficiation. EC Transfer . [IND1/ 459305/2024] (EC Transfer)**

SN	Projects Details	
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/459305/2024.
2.	Proposal /Activity Name	Shri Udyal Umamaheswara Reddy, Director,M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.) - 477114. Green Field Project of Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) by M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P.), Cat.: 2(b) Mineral beneficiation. SIA/MP/IND1/459305/2024.
3.	Description of Project	Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity-0.5 MTPA) located at village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.).
4.	Reason thereof	Current proposal is for EC transfer only.
5.	Previous EC details	M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, 1, 1 Opp Main Road,

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

		Gobarwahi, Distt. – Bhandar (Mahastra) - 441907. EC issued MPSEIAA vide letter No. dated 24-09-2022.	
6.	Existing EC	Name of Product	Capacity (Unit)
		Manganese Ore Beneficiation Plant	0.5 MTPA
7.	Date of latest consent issued	AW-58536 , Consent issued date 26-06-2023.	
		Product	Qty / year
		Beneficiated Ore	375000.00 M.
		Low value products	75000.00 M.
		Silicon rich	50000.00 M.
8.	Validity of latest consent (valid up to)	31-05-2024.	
9.	Undertaking	Submitted date 19/01/2024.	
10.	Sale deed	Submitted date 08/02/2024.	
11.	NOC /Affidavit details	Submitted by Previous Owner (Mr. Susheel S/o Shri Shubham Jain, Partner) M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, 1, 1 Opp Main Road, Gobarwahi, Distt. – Bhandar (Mahastra) - 441907.	

Category: 2(b) Mineral beneficiation Project.SIA/MP/IND1/459305/2024.This is a proposal Transfer of Environment Clearance issued MPSEIAA vide letter No. EC Identification No. - EC22B007MP170395 dated 24-09-2022. for Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) Production to M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P,.) Now M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P,.) has requested for transfer of EC to M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.) - 477114.through Parivesh Portal with required documents as mentioned in the portal.

In the year 2024, M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P,.) sold the M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.) – 477114 having capacity of 0.5 MTPA to M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP firm. After that M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP has changed its name as **M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED** and the same was duly registered in Registrar firm and societies and in all other department which was uploaded at portal. Further lease deed was also amended in the name of M/s. MAGNES ORE PRIVATE LIMITED.

Following documents have been submitted:

1. Notarized affidavit for NOC towards transfer of Environment clearance has been submitted by the pervious proponent M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P,.) wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and no violation has been done. It has also been mentioned that regular compliance of environment clearance is being done.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2. Whereas Notarized affidavit towards transfer of Environment clearance has been submitted by the proposed proponent M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.) - 477114.wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and assured for compliances of conditions of environment clearance
3. Documents of Registrar firm and societies pertaining to change in name fromM/s Badebaba Mining and Consultancy LLP to M/s . MAGNES ORE PRIVATE LIMITED,
4. Copy of sale deed executed in favor of M/sMAGNES ORE PRIVATE LIMITED.
5. Copy of valid consent of air and water issued by MPPCB (up to 31/05/2024).
6. Copy of environment clearance issued by EC issued MPSEIAA vide letter No. dated 24-09-2022.7. Copy of compliance report of environment clearance submitted by M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP

After deliberation committee decided **to recommend the case for transfer of Environment Clearance from previous project proponent M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP at Kh No-418/4,600/01/606/01, Village - Selwa, Tehsil-Katangi, Balaghat, (M,P,) to M/s. MAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.) - 477114.**subject to the following special conditions:

1. All the terms and condition as mentioned in the environment clearance issued by MP SEIAA vide letter no./EC Identification No. - EC22B007MP170395dated 24-09-2022 shall remain same and validity of EC shall be as per the EIA notification 2006 and as amended further.
2. The compliance of conditions of environment clearance shall be ensured by the project proponent and six monthly compliance report shall be uploaded at Parivesh portal and submitted at Regional office of MoEF&CC as per provision of EIA notification 2006 and office memorandum 14.06.2022 of MoEF&CC Govt of India.
3. The Photographs of plantation and CER etc shall be submitted to the MPS SEIAA on six monthly basis by the New project proponent. In case of fail to do above and non submission of continuous two six monthly report, the issued environment clearance shall be revoked.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

- 2. Case No. 5476/2017 Shri Subhash Garg, Director, M/s SAALASAR PHOS CHEM PRIVATE LIMITED, B-01, Aditya Vihar Colony, Mhow - Neemuch Road, Mandsaur, Distt. – Mandsaur (M.P.) - 458001. Prior Environment Clearance for Transfer of Environment Clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra no 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar, (M. P.). Total Land Area - 2.3585 ha., Transfer of EC. Apply Form 7(C).**

SN	Projects Details			
12.	Online Proposal No	SIA/MP/IND3/463489/2024. Cat: 5(a) Chemical fertilizers Project.		
13.	Proposal /Activity Name	Shri Subhash Garg, Director, M/s SAALASAR PHOS CHEM PRIVATE LIMITED, B-01, Aditya Vihar Colony, Mhow - Neemuch Road, Mandsaur, Distt. – Mandsaur (M.P.) - 458001. <i>Transfer of Environment clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra no 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar, (M. P.). Total Land Area - 2.3585 ha.,SIA/MP/IND3/463489/2024.</i>		
14.	Transfer of EC	Application for Transfer of EC- Form -7.		
15.	EC Transfer Objection received from the transferor	Complaint received from M/s Indra Industries Limited letter No. Nil dated 18/03/2024, Complaint forwarded by MPSEIAA letter No. 62/SEIAA/2024 dated 05/04/2024.		
16.	Category	5(a) Chemical fertilizers Project. All Single Super Phosphate without H ₂ SO ₄ production.		
17.	Description of Project	Transfer of Environment clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra No - 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar, (M.P.).		
18.	Whether proposal expansion is made under 7 (ii) (a)?	NO.		
19.	Reason thereof	This is Transfer of EC Projects		
20.	Previous EC details	EC issued MPSEIAA Case No. - 4258/2015, Previous EC issued MPSEIAA vide letter No. 5476/SEIAA/2017 dated 06/03/2017.		
21.	Existing EC	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Product & Capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Proposed Capacity SSP - 1,20,000 MTPA (Existing Capacity 45000</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Product & Capacity	Proposed Capacity SSP - 1,20,000 MTPA (Existing Capacity 45000
Name of Product & Capacity				
Proposed Capacity SSP - 1,20,000 MTPA (Existing Capacity 45000				

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

		MTPA+Additional Capacity- 75000 MTPA), GSSP - 120000 MTPA and Zinc Sulphate (ZnSO4)-10 TPD						
22.	Status of Implementation of Project or Activity?	Project is operational for complete components/units envisaged in the EC.						
23.	Date of latest consent issued	<ul style="list-style-type: none"> • AW-57921, • Consent issued MPPCB date 23-03-2023. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Product & Capacity</td> </tr> <tr> <td>1. Granular Single Super Phosphate</td> <td>- 1,20,000 MT/Year.</td> </tr> <tr> <td>2. Single Super Phosphate</td> <td>- 1,20,000 MT/Year.</td> </tr> </table>	Product & Capacity		1. Granular Single Super Phosphate	- 1,20,000 MT/Year.	2. Single Super Phosphate	- 1,20,000 MT/Year.
Product & Capacity								
1. Granular Single Super Phosphate	- 1,20,000 MT/Year.							
2. Single Super Phosphate	- 1,20,000 MT/Year.							
24.	Validity of latest consent (valid up to)	Valid up to 31-12-2026.						
25.	Undertaking	Sumitted date 19/02/2024.						
26.	Company Deed details	Sumitted date 30/01/2024.						
27.	NOC /Affidavit details	<p>Submitted by PP dated 26/09/2023.</p> <p>Submitted by M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd (Copy Submitted).</p> <p><i>Complaint received from M/s Indra Industries Limited letter No. Nil dated 18/03/2024, Complaint forwarded by MPSEIAA letter No. 62/SEIAA/2024 dated 05/04/2024.</i></p>						

Complaint received from M/s Indra Industries Limited letter No. Nil dated 18/03/2024, Complaint forwarded by MPSEIAA letter No. 62/SEIAA/2024 dated 05/04/2024. Wherein it is mentioned that the PP has applied for EC transfer vide on line proposal no. SIA/MP/IND3/463489/2024 on Privesh Portal 2.0. It is mentioned in the letter that earlier Project Proponent has raised objection on the EC transfer. Old PP has informed that Shri Subhash Garg, Director, M/S Saalasar Phos Chem Private Limited, has nither paid nor pay GST amount more tan 1.0 crore which cause huge loss of Govt. revenue and exchequer by attaching improper NOC.

This is a proposal of transfer of environment clearance granted by SEIAA, Madhya Pradesh vide letter F.No. 5476/SEIAA/2017 dated 06th March 2017 in favour of M/s Indra Industries Limited issued for chemical Fertilizer SSP/GSSP Fertilizer unit at Plot no. 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5,2132/1/13 village Sandla, Tehsil- Badnawar, District Dhar, Madhya Pradesh.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

Now, M/s Indra Industries Limited had sold its Chemical Fertilizer SSP/GSSP Fertilizer unit at Plot no. 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5,2132/1/13 village Sandla, Tehsil-Badnawar, District Dhar, Madhya Pradesh to to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd.

The Following documents have been submitted by the PP:

1. A notarized affidavit for NOC towards transfer of Environment clearance has been submitted by the pervious proponent M/s Indra Industries Limited wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and no violation has been done and no objection for the transferred in the name of M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd.
2. Whereas Notarized affidavit towards transfer of Environment clearance has been submitted by the proposed proponent M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and assured for compliances of conditions of environment clearance.
3. Copy of valid consent of air and water issued by MPPCB
4. Copy of environment clearance issued by SEIAA vide File no 5476/SEIAA/2017 dated 06th March 2017

After deliberation committee decided to recommend the case for **transfer of environment clearance from previous project proponent M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for chemical Fertilizer SSP/GSSP Fertilizer unit at Plot no. 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5,2132/1/13 village Sandla, Tehsil- Badnawar, District Dhar, Madhya Pradesh subject to the following special conditions:**

1. All the terms and conditions as mentioned in the environment clearance issued by SEIAA vide no 5476/SEIAA/2017 dated 06th March 2017 shall remain same and validity of EC shall be as per the EIA notification 2006 and as amended further.
2. The compliance of conditions of environment clearance shall be ensured by the project proponent and six-monthly compliance report shall be uploaded at Parivesh portal and submitted at Regional office of MoEF&CC as per provision of EIA notification 2006 and office memorandum 14.06.2022 of MoEF&CC Govt of India.
3. The Photographs of plantation and CER etc shall be submitted to the MP SEIAA on six monthly bases by the new project proponents. In case of fail to do above and non-

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

submission of continuous two six monthly report, the issued environment clearance shall be revoked.

3. Case No. P2/639/24 Shri Bhanu Jain, Lessee, R/o - Ward No. 14, Old Nagar Palika Choraha, Khaniyadhana, Shivpuri, (M.P.), - 473990 Prior Environment Clearance for Garetha Stone Quarry, lease area of 2.00 Ha., Proposed Production capacity of 50,004 cum/Year (Gitti-15,001cum/year & M-sand-35,003 cum/year).Located at Khasra No. - 857 (Govt. land) Village- Garetha, Tehsil- Pichhore, District – Shivpuri (M.P.), (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति कए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bhanu Jain, Lessee, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Bhanu Jain, Lessee, R/o - Ward No. 14, Old Nagar Palika Choraha, Khaniyadhana, Shivpuri, (M.P.), - 473990 Prior Environment Clearance for Garetha Stone Quarry, lease area of 2.00 Ha., Proposed Production capacity of 50,004 cum/Year (Gitti-15,001cum/year & M-sand-35,003 cum/year). Located at Khasra No. - 857 (Govt. land) Village- Garetha, Tehsil- Pichhore, District – Shivpuri (M.P.), ToR, SIA/MP/MIN/466431/2024.	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. -857,	एरिया -2.00ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Garetha, Tehsil- Pichhore, District – Shivpuri (M.P.),	
Description of Project	Garetha Stone Quarry, Located at Khasra No. - 857 (Govt. land) Village- Garetha, Tehsil- Pichhore, District - Shivpuri, Madhya Pradesh, is an Fresh mining project with Proposed Production capacity of 50,004 cum/Year (Gitti-15,001cum/year & M-sand-35,003 cum/year).	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 5589 दिनांक 09/05/2023.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA.	
उत्पादन क्षमता	50,004 cum/Year (Gitti-15,001cum/year & M-sand-35,003 cum/year).	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	क्रमांक 278 दिनांक 20/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 278 दिनांक 20/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 278 दिनांक 20/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – गरैठा, जिला – शिवपुरी द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र. 13 दिनांक 20/09/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति	After Grant of EC
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र. 279 दिनांक 20/02/2024 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

4. Case No. P2/790/24 RAKESH KOTHARI, Proprietor, Katju Nagar, Tehsil-Ratlam, Ratlam, Madhya Pradesh, 457001 Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (Stone – 11,115 m³/Year) (Khasra No. 181), Village -Bibdod, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam [MIN/466260/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश कोठारी पिता श्री निहालचंद्र कोठारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri Rakesh Kothari, S/o Shri Nihalchandra Kothari,

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

का नाम व पता	R/o- 380, Katju Nagar, Ratlam, Dist.-Ratlam, Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1.0 (Govt. land), (शासकिय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लेंड, नौइयत - अरन्यावली)	1.0 Ha
स्थल	Village- Bibdod, Tehsil- Ratlam, Dist.- Ratlam Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम मध्य प्रदेश के पत्र 1247/खनिज/2020-21 दिनांक 17/12/20 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-11,115घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 11,115 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान संचालित/स्वीकृत है, कुल क्षेत्र 5.00 हेक्टेयर है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडौदजिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 12/05/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड नहीं है
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- कच्ची सडक 50 मी. पर की दूरी पर स्थित है।
	उत्तर दिशा- पक्की सडक 340 मी. की दूरी पर स्थित है।
	उत्तर-पूर्व दिशा - आबादी 634 मी. की दूरी पर स्थित है।
	उत्तर-पश्चिम दिशा - जामन नदी 230 मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 12/10/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर ली जायेगी है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 -जारीपत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता - 11,115 मी.³
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.38/- एवं रिकरिंग राशि रु. 4.50/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road & water fogging system for dust suppression.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 2500 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days	NIL	1,12,500
2	Garland Drain is proposed (622m x 1.5m x 1.5m) Settling Tank is 15m x 04m x 1.5m (02 No.) Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m (02 No.)	50,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (150mx 5m) @300/sqm	2,25,000	22,500
4	Barbed Fencing (433m x Rs.300)	1,29,900	12,990
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation -350 Plants for One years 350 xRs.200= Rs. 70,000/-	1,57,500	16,000
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation 100 Plants for one years 100xRs.500= Rs 50,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 450 Plants for one (750X Rs. 50)= Rs. 37,500/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 10-11labour@Rs.10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	10,000
9	Medical Check-up for 10-11 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	-	2,000
11	PPEs for other mining operations for 10-12 workers @ Rs. 1500/worker	15,000	2,000
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	1,29,000	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	NIL	6,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	1,50,000	15,000
18	Vocational trainings for 10-11 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	Nil	5,000
19	Adoption of trees for carbon sequestration	30,000	
20	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission .	20,000	
	Total	11,38,400/-	4,50,890/-

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बिबडौद में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवा कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथमवर्ष में करवा दिया जाएगा।	40,000/-
ग्राम बिबडौद के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु प्रथमवर्ष में राशि जमा किया जायेगा।	80,000/-
योग	1,20,000/-

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	350
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत बिबडौद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	730
2	बिबडौद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अवलोकित नहीं हुई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैच्रेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	खदान क्षेत्र में पेड़ नहीं है परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि केशर क्षेत्र में 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	नहीं है

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No. P2/791/24 NARENDRA KOLI, Lessee, R/o-Village- Khetiya, Tehsil-Pansemal, District-Barwani, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (Stone – 5000 m3/Year) (Khasra No. 196/9), Village Dondwada, Tehsil Pansemal, District Barwani (M.P.) [MIN/465815/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र कोली पिता नारायण कोली ऑनलाईन जुडे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नरेन्द्र कोली पिता नारायण कोली, निवासी खेतिया तहसील पानसेमल जिला बड़वानी (म0प्र0)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	196/9 (निजी भूमि सहमति पर –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 Ha.
स्थल	Village: Dondwada, Tehsil-Pansemal , District Badwani(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 782 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष— 2022, अनुमोदित मॉडिफाईड खनन योजनानुसार उत्पादित मात्रा—5,000 घनमीटर /वर्ष	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2 श्रेणी	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – दोंदवाडा	दिनांक— 22.03.2024
डिया ई.सी.का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 17/डिया/2017 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा पत्थर—5000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2662 दिनांक 15.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है इस प्रकार कुल रकबा 1.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2662 दिनांक 15.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	महाराष्ट्र राज्य की सीमा है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2916 दिनांक 18.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी एवं पक्का रास्ता है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दोंदवाडा जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 49 दिनांक 30.03.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 00 ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर-नाला लगभग 110 मी. पर है
खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	दक्षिणपश्चिम दिशा – उत्खनि पट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क स्थित है जिसके सम्बंध में परियोजना प्रस्तावक अवगत कराया कीइस तरफ से 60 मीटर (सेट बेक) तक कोई खनन प्रस्तावित नहीं है। 100 मीटर के बाद रॉक-ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा। जिसके लिए संशोधित खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी में सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत संशोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगी
	पूर्व –पूर्व दिशा में कई वर्ष पूर्व में नाला था जोकि तहसीलदार के पत्र क्रमांक 726 दिनांक 31-03-2021 के अनुसार पूर्व में एक नाला था जो की विलुप्त हो चुका है जिसपर कृषि कार्य किया जा रहा है , कोई आपत्ति नहीं हैं
	पश्चिम-निर्माणाधीन स्कूल लगभग 180 मी. की दूरी पर स्थित हैं
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19.03.2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 एवं 34 के सरल क्रमांक-45 पर

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

रिपोर्ट में स्थिति	दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	बी-2 प्रकरण

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार वर्तमान में खनन कि गहरायी बेंच निर्मित करने कि परिस्थिति तक नहीं पहुंची है ।
पौधारोपण की स्थिति	50 पौधे पौधे क्रेशर प्लांट के पास लगाए गए है खदान क्षेत्र पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि वर्तमान में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया की उनके द्वारा संशोधित खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी में सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत संशोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगी उसके उपरांत ही उनके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Stone – 5000 m³/Year.
2. खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की अनुमोदित संशोधित खनन योजनाओंक ब्रेकर पर मिलने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जावे
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 4.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.53 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Table (Capital 4.48 lacs & Recurring Cost 1.53 lacs)

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 350 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	55,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 80 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	20,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1220 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to 395~m periphery of Mine lease boundary (400 nos.)	60000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 st year- 50 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2 nd year- 50 nos. in village temple @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1 st year- 720 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25,000 7,500 36,000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.343 cubic meter soil use for per tree. So 164.64 Cubic meter soil needed for no. of 480 trees	16,464	2,000
6	Total Wire Fencing = (~395 m long) - {30% completed=120 m} (50% Remaining to be installed = 275 m @500 Rs./m)	1,37,500	10,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per	-	500

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	dumper)		
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	25,000	
17	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon sequestration.	20,000	
Total		4,86,464	1,53,500

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख :-

कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी	
ग्राम सनावदिया में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मे पालक शिक्षक संघ को प्रयोगशाला के विकास हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश के 6 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	40,000 /—
Total	40,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियों	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगले जलेबी, सीताफल आदि	400
2.	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	50
3.	ग्राम दोंदवाडा के मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4.	ग्रामीणों में एवं आस पास के	स्थानीय पौधों की	720

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	किसानों में पौधों का वितरण	प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No. 10127/23 SHRI HARSIDDHI STONE CRUSHER, Lessee, Gram Rajoda Kelod Road Dewas (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.25 ha. (Stone Gitti – 10500 m³/Year and M-Sand – 19500 m³/Year) (Khasra No. 2/2,3,4,5/2), Village Barkhedhi, Tehsil & District Dewas , (M.P.) [MIN/466608/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरसिद्धि स्टोन केशर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री हरसिद्धि स्टोन केशर पार्टनर श्री शिवम चौधरी पिता श्री वंशीलाल जी, निवासी –ग्राम राजोदा, तहसील व जिला देवास म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/2, 3, 4, 5/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.250 हेक्टेयर निजी भूमि
स्थल	ग्राम बरखेडी, तहसील व जिला देवास
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक - 1161/खनिज/2023-24, दिनांक 27.04.2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 218/DEIAA/2018 दिनांक 23.04.2018 के द्वारा पत्थर-18000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,500 एवं एम.सैण्ड 19,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,500 एवं एम.सैण्ड 19,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262/खनिज/2023-24, दिनांक 02.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.97 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262/खनिज/2023-24, दिनांक 02.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262/खनिज/2023-24, दिनांक 02.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरखेड़ा कोतापाई, जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 02.06.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • No existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>खदान के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण दिशा में कृषि क्षेत्र होने के कारण 25 मी का सेड बैंक दिया गया है</p> <p>खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 10 मीटर हॉलेज रोड है जिस पर ग्रामीणों का आवागमन नहीं है</p>

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 86 के सरल क्रमांक- 103 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	जनसुनवाई 7 फरवरी 2024 को हुई जिसमें लोगों को किसी तरह की आपत्ति नहीं है जनसुनवाई में लोगों ने पौधारोपण रोजगार एवं जल छिड़काव की बात कही है

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	60 प्रतिशत गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	55 पौधे लगाए गए
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	3 meter की बेन्चेज पायी गई है ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 55 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट ।	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत रु प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु मंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,500 एवं एम.सैण्ड 19,500घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
8. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production.
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत रुपये) (में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 5.00 KLD	87,500	15,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट - लंबाई) आदि का विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00 मी के साथ 850 मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	7,65,000	10,000
3.	वृक्षारोपण67500	5,62,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/72,000	-	1,44,000

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10,000कूलरवर्ष रखरखाव के /2000 .और रु (लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(वर्ष।	-	22,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500 कार्यकर्ता	-	33,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु प्रणाली और रु / 5000 . /2000वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	6,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट वेब साइट विकास एवं रखरखाव ()@ रु5 .,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले () बोर्ड@ (/2000आदि	52,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@	-	11,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	(श्रम/ रुपये 500		
15	खदान के परिधि में 1000 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,50,000	25,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 979 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 19) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 19) एवं मजदूरी	86,950	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के 7.50 खुदे हुआ भागका पुनःभरण किया जायेगा लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 400 मीटर	2,40,000	-
18	कार्बन उत्सर्जन के कम करने के लिए निकट ग्राम बरखेड़ी LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 50	25,000	-
19	एम सैंड यूनिट एवं केशर के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना	1,50,000	50,000
	कुल योग	24,19,000	4,29,000

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बरखेड़ी के आंगनबाड़ी केंद्रमें अधोसंरचना विकास के लिएसहायता उपलब्ध कराई जाएगी	2,00,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2700 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोन 370 मीटरमें तीन लाइनों में किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	300
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर 850 मीटरअप्रोच	नीम, पीपल, कचनार, करंज,	850

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	कदम, चिरोल, आदि	
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1550
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

7. Case No. P2/793/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.80 ha. (Stone – 41320 m³/Year) (Khasra No. 303), Village Deopipaliya, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [MIN/465759/2024] TOR

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	303 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.80 hectare.
स्थल	Village Deopipaliya, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1979 दिनांक 07/10/2023 के द्वारा स्वीकृत । (राजेन्द्र दुबे से Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE	

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

	LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.Pके नाम अंतरण किया गया है ।)
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 17/10/2017 के द्वारा पत्थर-24,444 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है । (राजेन्द्र दुबे)
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 41320 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 41320 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5135 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.79 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5135 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5135 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता दूरी 10 मीटर से दूर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5137 दिनांक 19/03/2024 अनुसार डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

- 8. Case No. 9417/2022 Shri Surendra Singh Parmar S/o Shri Laxminarayan Parmar R/o Geetanjali Bhavan Ke Pass, Naya Aampura, District Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 3.632 ha. (Stone 1,97,000 Cum per year and M-Sand 49,000 Cum per year) (Khasra No. 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202),**

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

Village - Bilheti, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (M.P.). (EC Ammndment).
[MIN/465454/202] (EC Transfer)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **सुरेंद्र सिंह परमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण परमार** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	सुरेंद्र सिंह परमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण परमार निवासी न्यू आमपुरा , मुरैना मध्य प्रदेश
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2188,2196 (Govt. land), 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195,2197,2201/2/1,2201/1,2202 (pvt land), 2186, 2187, 2198, 2199 (Pvt. land), –नॉनफॉरेस्ट लैंड) नोइयत-सेडा., Area - 5.244ha
स्थल	Village- Bilheti, Tehsil Morar & Distt. - Gwalior, State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर म.प्र. के पत्र क्रमांक क/मा.रा./क्यू एल-58/2011/325 ग्वालियर दिनांक 29/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण –उत्खनिपट्टा का सम्मेलन (EC amendment)
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 1,97,000 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 49,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 1,97,000 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 49,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	ToR Recommended in 608 th SEAC Meeting dated 06/12/2022. TOR Letter no. 2502/SEIAA/2023, dated 05/01/2023
सिया ई.सी. का विवरण	EC Identification No. - EC22B001MP163430 File No. - 8567/2021 Date of Issue EC - 24/03/2022 (Area-1.612ha) EC Identification No. - EC23B001MP132943 File No. - 9417/2022 Date of Issue EC - 23/06/2023- (Area-3.632ha)
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल-29294/2022ग्वालियर दिनांक 12/09/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 5 अन्य खदान जिसका रकबा 9.922 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल 29294/2022ग्वालियर दिनांक 12/09/2022 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल 29294/2022ग्वालियर दिनांक 12/09/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साइट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिल्हेटी जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 16/08/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-3 । ● पेड़ काटा नहीं जायेगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में कच्चा रोड 142 मीटर पर दक्षिण दिशा में कच्चा रोड 249 मीटर पर पूर्व दिशा में पक्का रोड 195 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल 29294/2022ग्वालियर दिनांक 12/09/2022 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 –जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- पत्थर-**1,97,000**घनमीटर/वर्ष और एम सैंड**49,000** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 17.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 9.16 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system & water fogging system both on haul road and transportation road.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 8000 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	360,000
2	Garland Drain is proposed (1137 x1.5x1.5) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5 (03no.)	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (100m X 5m) @500/sqm-WBM road	Already constructed	50,000
4	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone – 2000 2500 plant/year x Rs.200= 5,00,000/-	7,34,000	73,400
	Plantation in Village @ Rs. 50/plant. Total plantation in village and Primary School area 2980 (2980 XRs. 50)= 149,000/-		
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 100 100 plant/year x Rs.500=50,000/-		
	For Grazing Land Situated In North Direction. 700*50=35,000/-		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X1 and Rs. 1,000/year for maintenance.	-	10,000
8	Medical Check-up for 43 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	43,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 43 workers+ (2 Extra) =43@ Rs. 1500/worker	67,500	6,750
11	Shelter rooms for labors (15*15)=225 Square feet @Rs.800/square ft.	Already constructed	10,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for	20,000	-

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	mines>5.00 ha		
13	Half yearly PUC certification for 12 trucks @1000/truck	NIL	24,000
14	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	NIL	37,000
15	Chain Link fencing -1182m-periphery of area(80% fencing done 236m*@500/meter	1,18,000	11,800
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	crusher is not proposed within the lease	
17	Vocational Training for 43 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	21,500
18	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
19	Installation of continuous monitoring equipment for measuring the air pollution under environmental management plan.	4,50,000	50,000
20	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	80,000	-
	Total	17,39,500/-	9,16,450/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बिल्हेटी के प्राथमिक स्कूल में 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर तथा 2 कंप्यूटर टेबल तथा दो कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी	रु 90,000 /-
ग्राम बिल्हेटी में एक नया हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	रु 50,000 /-
ग्राम बिल्हेटी के प्राथमिक स्कूल में १२ नाग डेस्क और बेंच की व्यवस्था	रु 50,000 /-
स्वास्थ्य जागरूकता हेतु राशि स्थानीय रोगी कल्याण समिति को स्थानांतरित की जाएगी	रु 60,000 /-
शौचालय की मरम्मत (फर्स में फिटिंग वाली टाईल्स और दीवारें) 2000 ओव्हर हेड टैंक, उचित जल चेनलाईजेशन सिस्टम के साथ	रु 50,000 /-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	----------------------------------	---------------------	---------------------

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

1	बैरियर जोन (शासकीय भूमि खसरा 2188, 2196)	सिस्सू, पीपल, कस्टार, सीताफल खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	2500
	बैरियर जोन (निजी भूमि खसरा नंबर 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा, सागोन और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	नीम, आम पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, कचनार, चिरौल महुवा इत्यादि।	100
3	गाँव बिल्हेटी के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	2980
4	बिल्हेटी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
5	उत्तर दिशा में स्थित दोनों चारागाह हेतु	नीम तथा प्रोसोपिस के बीज, जंगल जलेबी, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No. P2/796/24 Manju Dhakad, Lessee, R/o- 67, Village- Saagod, District- Ratlam (M.P.) Village - Dhabaipada, Tehsil - Ratlam, District-Ratlam District-Ratlam (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.70 ha. Stone (Gitti)-10,000 Cu.mt/year, M-Sand-10,000 Cu.mt/year & Overburden-1,309 Cu.mt/year) (Khasra No. 10/1/13) Village - Dhabaipada, Tehsil - Ratlam, District-Ratlam District- Ratlam (M.P.) (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Manju Dhakad, Lessee, R/o- 67, Village- Saagod, District- Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	10/1/13(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.70 hectare.
स्थल	Village - Dhabaipada, Tehsil - Ratlam, District-Ratlam District- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 669-72 दिनांक 11/01/21 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti,)-10,000 Cu.mt/year, M-Sand-10,000 Cu.mt/year & Overburden-10,309 Cu.mt/year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti,)-10,000 Cu.mt/year, M-Sand-10,000 Cu.mt/year & Overburden-10,309 Cu.mt/year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 216 दिनांक 13/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 216 दिनांक 13/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 216 दिनांक 13/02/24 अनुसार 50 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 208 दिनांक 12/02/24 अनुसार उक्त खदान अग्रिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	------------------------------

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

10. Case No. P2/794/24 Shri MOHIUDDIN SHAIKH, Lessee, R/o- 07, Civil Line Collector Bangle Ke Pass Dewas, District- Dewas, (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 2.00 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 197) Village - Gaddukhedi, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.) (TOR) [MIN/466779/2024] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MOHIUDDIN SHAIKH, Lessee, R/o- 07, Civil Line Collector Bangle Ke Pass Dewas, District- Dewas, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village - Gaddukhedi, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 12924-29 दिनांक 29/09/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum-25,000 m ³ /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Murrum-25,000 m ³ /year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 10/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.190 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 10/10/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 10/10/22 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता निर्धारित दूरी से दूर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-20 दिनांक 02/10/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2699 दिनांक 10/10/22 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है ।

11. Case No. 248/2008. Shri Rajesh Bansal , Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, 601-A, AIREN HEIGHTS, PU-3, SCHEME NO. 54, A. B. ROAD, INDORE (M.P.) - 452010, Clinker grinding unit (Capacity Transfer of Environment clearance from M/s Satguru Cement Pvt. Ltd. to M/s PIONEER INDUSTRIES at Khasra No. - 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village - Ghursal, Teshil – Jeerabad, Gandhwani, Dist. – Dhar (M.P.) 454446. Total Land Area- 3.762 Ha., Cat.: 3(b) Cement plants. [IND1/466827/2024] (EC Transfer)- 0.095 MTPA)

SN	Projects Details	
1.	Proposal /Activity Name/ Location	Shri Rajesh Bansal , Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, 601-A, AIREN HEIGHTS, PU-3, SCHEME NO. 54, A. B. ROAD, INDORE (M.P.) - 452010,

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	of Project	Clinker grinding unit(Capacity - 0.095 MTPA)Transfer of Environment clearance from M/s Satguru Cement Pvt. Ltd. to M/s PIONEER INDUSTRIES at Khasra No. - 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village - Ghursal, Teshil – Jeerabad, Gandhwani, Dist. – Dhar (M.P.) 454446. Total Land Area- 3.762 Ha., <u>Cat.: 3(b) Cement plants,SIA/MP/IND1/466827/2024.</u>				
2.	Transfer of EC Apply	Application for Transfer of EC- Form -7.				
3.	Previous EC details	<u>MPSEIAA Case No. 248/2008, EC issued vide letter No. 290 /SEIAA/10 dated 09/08/2010.</u> ➤ Prior Environmental Clearance to proposed expansion in production capacity of Mini cement plant from 30,000 TPA to 95,000 TPA and production of clinkers production capacity 150000 TPA at village Ghursal, Jeerabad, Teh-Gandwani, Distt Dhar M.P.				
4.	Transferor (Holder of earlier EC)	M/s Satguru Cement Pvt. Ltd. 601-A, Airen Heights, PU3, Scheme no. 54. AB Road, Indore (M.P.) – 452009.				
5.	Transferee (To whom the transfer of EC is being sought)	Shri Rajesh Bansal , Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, Khasra No. 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village Ghursal, Jeerabad Teshil Gandhwani, Dist. Dhar (M.P.).				
6.	Description of Project	Name Change.				
7.	Reason thereof	Current proposal is for EC transfer only.				
8.	Date of latest consent issued	AW-57767, Consent issued date 10-03-2023. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Product</th> <th style="width: 40%;">Qty / year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cement (through clinker grinding only)</td> <td style="text-align: center;">95000.000 M.T</td> </tr> </tbody> </table>	Product	Qty / year	Cement (through clinker grinding only)	95000.000 M.T
Product	Qty / year					
Cement (through clinker grinding only)	95000.000 M.T					
9.	Validity of latest consent (valid up to)	Valid up to 31-12-2027.				
10.	Form No. – 10 (Registrar of Firms Indore (M.P.)	Sumitted Registrar of Firms Indore (M.P.) Copy letter no. 28/22 dated 07/04/2022.				
11.	No Objection from the transferor	Submitted by Previous Owner (M/s Satguru Cement Pvt. Ltd.) 601-A, Airen Heights, PU3, Scheme no. 54. AB Road, Indore (M.P.) – 452009.				
12.	Copy of Transfer of the firm from competent authority was granted.	Affidavit Submitted dated Shri Rajesh Bansal , Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, Khasra No. 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village Ghursal, Jeerabad Teshil Gandhwani, Dist. Dhar (M.P.).				
13.	Compliance Water/Air Consent	COMPLIANCE REPORT OF AIR/ WATER CONSENT CONDITIONS 2021 Submitted by M/s Satguru Cement Pvt. Ltd..				

This is a proposal transfer of environmental clearance issued vide no 290/EPCO-SEIAA/2010 dated 09.08.2010 for 0.95 MTPA cement production to Satguru Cements Pvt Ltd .Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 and 6. Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP).Now M/s. Satguru Cements Pvt Ltd .Khasara No 4/2, 5/1,

5/2 And 6. Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP) has requested for transfer of EC to M/s Pioneer Industries, Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 And 6, Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP) through Parivesh Portal with required documents as mentioned in the portal.

In year 2019, M/s Satguru Cement Pvt Ltd sold the cement manufacturing plant located at Jeerabad Dist Dhar (MP) having capacity of 0.95 MTPA to M/s Satguru Industries which is a partnership firm. After that Satguru Industries has changed its name as Pioneer Industries and the same was duly registered in Registrar firm and societies and in all other department which was uploaded at portal. Further lease deed was also amended in the name of Pioneer Industries from MPIDC.

Following documents have been submitted:

1. Notarized affidavit for NOC towards transfer of Environment clearance has been submitted by the previous proponent M/s Satguru Cements Pvt Ltd .Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 And 6. Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP) wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and no violation has been done. It has also been mentioned that regular compliance of environment clearance is being done.
2. Whereas Notarized affidavit towards transfer of Environment clearance has been submitted by the proposed proponent M/s Pioneer Industries, Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 And 6, Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP) wherein it has been mentioned that no litigation has been pending and assured for compliances of conditions of environment clearance
3. Documents of Registrar firm and societies pertaining to change in name from Satguru Industries to Pioneer Industries
4. Copy of lease deed executed in favor of Pioneer Industries
5. Copy of valid consent of air and water issued by MPPCB
6. Copy of environment clearance issued by SEIAA vide no 290/EPCO-SEIAA/2010 dated 09.08.2010

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

7. Copy of compliance report of environment clearance submitted by M/s Satguru Cement Pvt Limited.

After deliberation committee decided to recommend the case for **transfer of environment clearance from previous project proponent Satguru Cements Pvt Ltd .Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 And 6. Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP) To M/s Pioneer Industries, Khasara No 4/2, 5/1, 5/2 And 6, Village Ghursal, Jeerabad Tehsil Gandhawani Dist Dhar (MP)subject to the following special conditions:**

1. All the terms and condition as mentioned in the environment clearance issued by SEIAA vide no 290/EPCO-SEIAA/2010 dated 09.08.2010shall remain same and validity of EC shall be as per the EIA notification 2006 and as amended further.
2. The compliance of conditions of environment clearance shall be ensured by the project proponent and six monthly compliance report shall be uploaded at Parivesh portal and submitted at Regional office of MoEF&CC as per provision of EIA notification 2006 and office memorandum 14.06.2022 of MoEF&CC Govt of India.
3. The Photographs of plantation and CER etc shall be submitted to the M.P. SEIAA on six monthly basis by the New Project Proponenet. In case of fail to do above and non submission of continuous two six monthly report, the issued environment clearance shall be revoked.

12. Case No. P2/799/24 PANKAJ INGLE, Lessee, Village- Baljhiri, Tehsil- Pansemal, District-Barwani, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.420 ha. (Stone – 8000 m3/Year and Murrum – 5040 m2/Year) (Khasra No. 261/1), Village - Dondwada, Tehsil- Pansemal, District- Barwani (M.P.) [MIN/467084/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज इंगले पिता श्री अर्जुन इंगले ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	श्री पंकज इंगले पिता श्री अर्जुन इंगले ,

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

का नाम व पता	निवासी : बालझिरी तहसील पानसेमल जिला बडवानी(म0प्र0)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 261/1	1.42 Hectare.
स्थल	Village - Dondwada, Tehsil- Pansemal, District-Badwani (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 4153/खनिज/2024 दिनांक 01/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।	
टॉर	लागू नहीं है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-5040 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-8,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-5040घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4225/खनिज/2024 दिनांक 11/03/2024 बडवानी अनुसार 500 मीटर की परिधि में 00 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.42 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4225/खनिज/2024 दिनांक 11/03/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4225/खनिज/2024 दिनांक 11/03/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से दक्षिण दिशा में 200 मीटर की दूरी पर महाराष्ट्र राज्य की सीमा है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दोदेवाडा जिला बडवानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 24.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 00 ● यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण 00 	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों</p>	<p>उत्तर दिशा— उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 53 मीटर व 76 मीटर की दूरी 2 कच्चे मकान(isolated huts) परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह कच्चे मकान में पशुओं का चारा भूसा एवं कृषि सामग्री तथा मशीनरी रखने के उपयोग में लाये जाते एवं इनमें किसी भी तरह की मानव बसाहट नहीं है।</p> <p>दक्षिण दिशा—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● उत्खनिपट्टे के दक्षिण-पूर्व दिशा में 85 मीटर पर आबादी है। जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आबादी से 15 मीटर का सेटबैक अनुमोदित खनन योजना में छोड़ा गया है और इसे गैर खनन के रूप में विकसित किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा। ● उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा परिलक्षित हो रहा है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत दोंदवाडा जिला बडवानी से पत्र क्रं. 205 दिनांक 20/05/2024 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह बताया गया है कि उत्खनिपट्टे से लगभग 40 मीटर की दूरी पर जो गड्ढा स्थित है वो ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में शासकिय निर्माण कार्य हेतु उस जगह से निकाली गई मुरुम के कारण निर्मित हुआ है।
<p>प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>नया प्रकरण है।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता —Stone —8000 m³/Year & murrum 5040 m³/Year
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित केशर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर में वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 10.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.83 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	For environment Protection			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 450 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	65,000	---	15000
3	Development of approach Road (Road length approx. 250 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,25,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	---	20,000
5	Plantation (1710 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~520 m periphery of Mine lease boundary (~500 no's)	75000	---	20000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 250 (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 60 no's govt middle school @Rs 150 (as boundary wall is present these place) 2 nd year – 1050 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 52500	9000	20000
	C. Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,000	---	1,000
	Development of the grassland at the same khasra 261/1 at an area of 1.420 ha and maintenance of it	15000		5000
6.	Fencing of lease area (~520 m long) (@Rs 500/m)	260000	---	20000
8.	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1000
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	60,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000)	16,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		5,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the carbon sequestration 200 nos @Rs100/bulb	20000		
17.	Cost for the crusher pollution control equipment	2,00,000		20,000
	Total	10,05,500	9000	1,83,000
		10,14,500		183000

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि :- 0.60लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किये जाये :-

B.		सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	डोंडवाडा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 06 माह के भीतर जमा की जावेगी।		60,000/-
	योग		60,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1710 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस. खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, सफेदसिरिस करंज , सीताफल, चिरोल आदि	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा कदम्व आदि।	100
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि फलदार पौधे ।	1050

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4	शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	60
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. 9663/23 Smt. Nisreen Pakawala, Lessee, Village-Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)-457001. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.00 ha. (Stone Quarry for Gitti – (Expansion from 5044 to 13,500 Cubic Meter/Year) (Khasra No. 273/16, 273/17), Village-Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [MIN/467090/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक निसरीन पाकावाला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट्स उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति निसरीन पाकावाला पति भाब्बीर पाकावाला, निवासी -16, रामबाग, जिला रतलाम म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	273/16, 273/17 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम रामपुरिया, तहसील एवं जिला रतलाम
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक - 1422/खनिज/2016-17, दिनांक 07.02.2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 550/DEIAA/2017-18 दिनांक 22.08.2017 के द्वारा पत्थर-5044 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-13,500 एवं एम.सैण्ड 31,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	योजना अनुसार पत्थर-13,500 एवं एम.सैण्ड 31,500घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1902/खनिज/2022-23, दिनांक 17.11.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.50हे. होता है, अतः प्रकरण B1श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1902/खनिज/2022-23, दिनांक 17.11.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1902/खनिज/2022-23, दिनांक 17.11.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामपुरिया, जिला रतलामके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु./पंचा/2017, दिनांक 15.12.2016अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -NO
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● दक्षिण-पश्चिम भाग में 17 मी. पर मौसमी नाला जिसके संबंध में 33 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है। ● पूर्व दिशा में 104 मीटर पर नाला हैं, ● उत्तर दिशा में 390 मी पर आबादी हैं (बिखरी हुई) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेच) के ओए नम्बर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदंड के अनुसार ही कन्टोल ब्लास्टिंग की जाएगी एवं ब्लास्टिंग के दौरान निर्धारित सभी सावधनियां रखी जाएगी।
प्रस्तावित खदान की जिला	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 16 के सरल क्रमांक- 91 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	जनसुनवाई 27.09.2023को हुई जिसमें लोगों को किसी तरह की आपत्ति नहीं है जनसुनवाई में लोगों ने पौधारोपण रोजगार एवं जल छिड़काव के सुझाव को ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. योजना में शामिल किया है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	70प्रतिशत पाई गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	75पौधे लगाए गए
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति ।	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 75 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट ।	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-13,500 एवं एम.सैण्ड 31,500घनमीटर/वर्षखनन

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2. क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
9. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 10- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

11. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 5.00 KLD	87,500	20,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि - लंबाई) का विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 850 मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	5,40,000	25,000
3.	वृक्षारोपण67500	6,60,000	50,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/72,000	-	40,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10,000कूलरवर्ष रखरखाव के /2000 .और रु (लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(22,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यो के लिए पीपीई @ रु / 1500 कार्यकर्ता	-	33,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट वेब साइट विकास एवं (रखरखाव)@ रु5 .,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ (/2000आदि	55,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	22,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

15	खदान के परिधि में 1000 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,00,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 979 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 19) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 19) एवं मजदूरी	45,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे 7.50 लंबाई)हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 200 मीटर	1,20,000	-
18	निकट ग्राम रामपुरियाLED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 50	25,000	-
19	केशर यूनिटएवं एम सैंड यूनिट के प्रदूषण नियंत्रण के रोकथाम हेतु उपकरण हेतु ।	1,50,000	50,000
	विन्ड ब्रेकिंग वाल (600मीटर) लगाई जाएगी)@रु.1000(मीटर/	6,00,000	20,000
	कुल योग	27,27,500	3,64,000

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रामपुरिया में विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।	2,00,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनमें 500 मीटरकी लम्बाई पर 3 लाइनों मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु,आदि।	400

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (600 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनो में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600
.3	माइनिंग एरिया (0.30 ha) एवं नाला के किनारे (0.75 ha) पर वृक्षारोपण	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेदकस्टार, सिस्सुकला सिरस, सफ़ेद सिरस आदि।	1400
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No. P2/797/24 Shri SAHIL VIRMANI, Lessee, R/o-Village Choupra Raiyatvari Damoh, District-Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 1.00 ha. (8,000 cum per annum) (Khasra No. 1/1/1 S) Village-Kuluwa urf Marutaa, Tehsil- Damoh, District- Damoh (M.P.). [MIN/467110/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, प्रकरण आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री साहिल विरमानी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री साहिल विरमानी आत्मज श्री हरीश विरमानी निवासी चौपरा रैयतवारी दमोह	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 1/1/1 S (सरकारी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 Hectare.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

स्थल	Village-Kuluwa urf Marutaal, Tehsil -Damoh, District- Damoh (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक खनिज/उ.प./न.क-09/2023-24/150 दिनांक 19/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया बी-2 श्रेणी ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम -8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम -8,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क/खनिज/2024/179 दमोह, दिनांक 27/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क/खनिज/2024/179 दमोह, दिनांक 27/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में आवेदित क्षेत्र टाईगर रिजर्व, घोषित नेशनल पार्क/ अभ्यारण स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क/खनिज/2024/179 दमोह, दिनांक 27/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मारुताल जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पं./NOC/2023 दिनांक 23/12/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	प्रकरण खनिज मुरुम का है अतः क्रेशर प्रस्तावित नहीं

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 04 यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 02 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	<p>दक्षिण दिशा— 185 मीटर पर पक्का रोड स्थित है , 290 मीटर पर फैंक्री</p> <p>पूर्व दिशा – पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कुछ पक्के मकान स्थित हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया यह खदान मुरुम की है इसलिए ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।</p> <p>30 मीटर पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर एक हॉल रोड गुजर रहा हैं</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नोट:— उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि एकल अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मी. की परिधि में एक अन्य खदान हैं इसके अतिरिक्त खदान की दक्षिण दिशा व आस पास कुछ गड्ढे दिख रहे हैं वास्तव में यह बहुत पूर्व से ही है जोकि गूगल सेटेलाईट इमेजिस से बेक डेट में दिखाई दे रहे हैं

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Murrum –8000 m³/Year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 6.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.58 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300	-	30,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	days.		
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 350 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 200m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,00,000	15,000
4	Monitoring twice a year AAQM @8000/yr, Water@3000/yr, Noise@2000/yr Soil@2000/yr	NIL	15,000
5.	Plantation (Total 1200 + 20 Compensation trees)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~415 m periphery of Mine lease boundary and non-mining area (400nos.)	60,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 st year- 100 nos. on evacuation route up to 200m both side (@ Rs. 500/tree) - 2 nd year- 50 nos. at govt school@ Rs 150/tree (as boundary wall is present there) 1 st year- 670 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 33,500	15,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	Development of the grassland at an area of 1.0ha t Khasra no. 1/1/1 and maintenance of it.	10000	3000
6	Total Wire Fencing = 415 m @500 Rs./m)	2,07,500	15000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	40,000	10,000

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

9	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	4,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	2,000
Solid Waste Management			
14	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 50 nos @Rs100/bulb for Carbon sequestration.	5,000	
	Total	6,47,500	1,58,500

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम कुलुवा उर्फ मारुतल शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में विद्यालय विकास हेतु राशि भू प्रवेश प्राप्त मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी ।	50,000/-
कुल	50000 /-

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2080 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	670

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. P2/801/24 Shri Sanjeev Singh, INDRAPURI COLONY, NEAR TATA COMMERCIAL, DHOTI, POST- VINDHYANAGAR SINGRAULI, (M.P.) 486885, Prior Environment Clearance for, Singrawal Stone Mine, Lease Area: 3.55 Ha. Stone – 40,612 M3/Year. Khasra No. – 420 (Partly), Govt Waste Land Village – Singrawal, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P) . SIA/MP/MIN/467262/2024. [MIN/467262/2024] B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sanjeev Singh उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीसंजीव कुमार सिंह पिता श्री कैलाश सिंह निवासी - एम. आई. जी. 44, नवजीवन विहार, पोस्ट- विन्ध्यनगर, जिला -सिंगरौली (मध्य प्रदेश) मोबाइलनंबर - +91-8109122160			
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 420	सरकारी	3.55 Ha.	
स्थल	Village – Singrawal, Tehsil- Mada, District -Singrauli (M.P.)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1209 दिनांक-22/03/2021 के द्वारा स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	N.A.			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 2021, क्षमता- 40612 घनमीटरप्रतिवर्ष, उत्पादित मात्रा- 40612 घनमीटरप्रतिवर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	N.A.			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	नहीं
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग			
प्रकरण की स्थिति	डिया सेसिया प्रकरण बी-2			
पर्यावरण सलाहकार या	पर्यावरण सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण -			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	श्रीमूर्तींद्रकुमारपांडेय स्थल का नाम – सिंगरावल ,दिनांक– 20/05/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया 16/2016 के पत्र क्रमांक 11 दिनांक 30/05/2016 के द्वारा पत्थर–46000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–40612 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार– 40612 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3586 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोईभी खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3586 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3586 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बुचरो जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 46 दिनांक 24/02/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हाँ/नहीं

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

क़ेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क़ेशर लीज क्षेत्र के बाहर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या –50 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण –लीज एरिया के पेड़ नहीं काटे जाने हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>दक्षिण दिशा—यह कि पट्टे धारी श्रीसंजीव कुमार सिंह तनय श्री कैलाश सिंह को खसरा क्रमांक - 420, के रकबा- 3.55 हेक्टेयर पर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुआ है जिसके समीप में लग-भाग 139 एवं 168 मीटर की दुरी पर (सैंगसग लीज एरिया से) निजी भूमि पर खसरा क्रमांक- 422 एवं 421 के निजी स्वामित्व श्री वृंदावन साहू कि भूमि पर पशुओं के लिए भूसा एवं चारा एवं कृषि यन्त्र से सम्बंधित सामग्री रखने के उद्देश्य से मालघर बनाये गए हैं जिनके किसी भी तरह का मानव बसाहट नहीं है। यह कि हमारा निवास उत्खनिपट्टे से लगभग 4.00 किलोमीटर दूर है।</p> <p>पश्चिम दिशा —उत्तर दिशा—दक्षिण दिशा—यह कि पट्टे धारी श्रीसंजीव कुमार सिंह तनय श्री कैलाश सिंह को खसरा क्रमांक - 420, के रकबा- 3.55 हेक्टेयर पर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुआ है जिसके समीप में लग-भाग 177 एवं 206 एवं 150 एवं 160 एवं 60 एवं 156 एवं 200 एवं 188 एवं 210 एवं 148 एवं 190 एवं 215 मीटर की दुरी पर (सैंगसग लीज एरिया से) शासकीय भूमि पर आवेद रूप से कच्चे मिट्टी के घर बनाये गए हैं जिन सभी का खसरा क्रमांक- 420 कि भूमि पर पशुओं के लिए भूसा एवं चारा एवं कृषि यन्त्र से सम्बंधित सामग्री रखने के उद्देश्य से मालघर बनाये गए हैं जिनके किसी भी तरह का मानव बसाहट नहीं है। यह कि जिन का निवास उत्खनिपट्टे से लगभग 4.00 किलो मीटर दूर है।</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26 / 03 / 2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 61 के सरल क्रमांक- 172 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	—N.A.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि पूर्व ई. सी. की शर्तों का पिछले 09 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया है, परियोजना प्रस्तावक ने फेंसिंग के संबंध में बताया गया कि 05 बार फेंसिंग कार्य किया गया है, परन्तु हर वर्ष फेंसिंग चोरी हो जाती है, लेकिन इस संबंध में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है। प्रस्तुत अभिलेखों से लग रहा है कि खदान क्षेत्र में 06 मी. से अधिक उत्खनन हुआ है, पिछले 10 वर्षों का उत्पादन/ उत्खनन कितना हुआ है जानकारी प्रस्तुत करें एवं डी.जी.एम.एस. से परमीशन की जानकारी भी प्रस्तुत करें।

16. Case No. 9702/2023 Shri Prabodh Kumar Sharma, Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, In Front of T.B. Senoterium, Chhindwara (MP) - 480001, Prior Environment Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 35000 ha. CCA [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 852.48 ha. at Tehsil-Pandhurna, District - Chhindwara (M.P.). Amendment in ToR.

This is case of Prior Environment Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin, Chhindwara District to Irrigate 35,000 Ha Culturable Command area in Pandhurna tehsil of Chhindwara District, Madhya Pradesh. This is one of the three dams proposed as part of Chhindwara Irrigation Complex Scheme.

SN	Projects Details	
1.	Proposal /Activity Name	Shri Prabodh Kumar Sharma, Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, In Front of T.B. Senoterium, Chhindwara (MP) - 480001, E-mail-ee.wrdn.cdw@mp.gov.in, Mobile-9425648854, Prior Environment Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 35000 ha. CCA [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 852.48 ha. at Tehsil-Pandhurna, District - Chhindwara (M.P.).SIA/MP/RIV/463080/2024.
2.	Project Proposal For	Amendment. (CCA – 26157 Ha.).
3.	ToR Status	ToR Recommended in 631 st SEAC Meeting Dated 18/05/2023.
4.	Description of Project	CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin, Chhindwara District to Irrigate 26,157 Ha Culturable command area in Pandhurna tehsil of Pandhurna (Chhindwara) District, Madhya Pradesh. This is one of the three dams proposed as part of Chhindwara Irrigation Complex Scheme.
5.	Name of the River (source)	Jam River.
6.	Previous Area details	Agriculture Land – 778.27 Ha., Forest Land –74.21 Ha., Green Belt – 15.00 Ha., Total Land Area – 867.48 Ha.,
7.	Total Area in ha.	812.241 ha Private land/ Govt. land will be required for the project.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

8.	Details thereof	Detailed social impact assessment will be initiated to understand the impact of developmental activities on vulnerable group (if any) in the project areas. Impacts identified during the socio-economic studies will be addressed through mitigation and management plan as part of the EMP. In addition, R&R plan will be prepared in accordance with Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and as per State rules and policies to adequate.		
9.	Amendment Logs			
	Description	Reference	Existing	Proposed / Amend
	Approved ToR	Subject	Prior Environmental Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 35000 CCA in an area of 852.48 ha at tehsil-Pandhurna, District Chhindwara (MP)	Prior Environmental Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 26157 CCA in an area of 948.965 ha at tehsil Pandhurna, District Pandhurna (Chhindwara) (MP)
	District	Subject	Chhindwara	Pandhurna*
	Tehsil	Subject	Pandhurna	Pandhurna
	Cultural Command Area (CCA)	Subject	35000 ha	26157 ha
	Land Requirement	Subject	852.48 ha	948.965 ha
	Gross Storage	Para 2	95 MCM	92.89 MCM
	Dam Length	Para 2	1970 m	2000 m
	River Bed Level	Para 2	417 MSL	415 MSL
	Full Reservoir Level	Para 2	448 m	446 m
	Discharge	Para 3	1.55 cumecs (misprint in ToR) Actual was 11.55 cumec	8.63 cumec
Power Requirement	Para 3	20.37 MW	19.69 MW	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	Number of Benefitted Villages	Para 3	102	79	
	Forest Land	Additional ToR-Para 1	74.20 ha	136.724 ha	
10.	Risk Assessment	Submitted by PP.			
11.	Env. Cons	R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd.Gurgaon(Haryana).			
12.	Consent Status	Will be obtained after environmental clearance.			
13.	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • 8.63 cumec water will be lifted directly from river Jam in the Kanhan sub basin to cater to irrigation demand of 26157 ha CCA in Pandhurna tehsil of Pandhurna (Chhindwara) district. • Constructing of one pump house is proposed for lifting water to command area. Pump house power requirement has been worked out as 19.69 MW. • Total 79 villages of Pandhurna (Chhindwara) district will be benefitted. • The total submergence area of CIC Balancing Reservoir is 948.695 ha out of which 136.724 ha of forest land, 620.018 ha is Private Land and balance 192.222 ha is government land. • Application for Diversion of 136.724 ha of forest land is filed on PARIVESH portal vide application No. FP/MP/HYD/IRRIG/458645/2024 on 16/01/2024. 			

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, On-line , Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with Engineer, Office of the. PP Smt. Kumkum Kaurav Patel Executive Engineer, Water Resources Deptt submitted that earlier TOR was recommended in the SEAC 631st Meeting dated 18th March 2023 and same was issued by SEIAA on dated 21.04.2023. Now, they have applied for Amendment in ToR for which PP has applied requisite form -3 .

PP submitted reasons for Amendment of TOR.

- After scoping clearance, detailed survey and investigation work was undertaken, which has resulted in change in project parameters including CCA and land requirement, requiring amendment of TOR.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

- After hydrological and water availability studies, **CCA is reduced from 35000 ha to 26157 Ha.**
- Total land requirement is revised from **852.48 ha to 948.65 ha based on actual land survey.**
- Source of lifting water (Jam River) will remain same.

Comparative Statement

S. No.	Particular	As per ToR issued vide SEIAA letter No. 182 dated 21/04/2023	Proposed Amendment	Justification for Change
1.	District	Chhindwara	Pandhurna*	New district formation; not yet updated in database of parivesh portal
2.	Tehsil	Pandhurna	Pandhurna	No change
3.	Cultural Command Area (CCA)	35,000 ha	26,157 ha	Due to Technical specification after finalization of hydrology
4.	Total Land	852.48 ha	948.965 ha	As per field survey data
	Forest Land	74.20 ha	136.724 ha	
	Private Land	737 ha	620.018 ha	
	Govt. Land	-	192.222 ha	
5.	Gross Storage	95 MCM	92.89 MCM	Due to Technical specification after
6.	Dam Length	1970 m	2000 m	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

7.	River Bed Level	417 m	415 m	finalization of hydrology
8.	Full Reservoir Level	448 m	446 m	
9.	Discharge	1.55 cumec	8.63 cumec	As per Pipe distribution network & Hydraulic design
10.	Power Requirement	20.37 MW	19.69 MW	
11.	Benefitted Villages	102	79	As per change in capacity (CCA)

Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the configuration of the project:

- PP shall conduct seepage study of the area .
- Ecological damage losses due to increase due to forest area.
- CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
- Carbon foot print study and other mitigation measures.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 631st Meeting dated 18th March 2023.

17. Case No. 9921/23 Shri PRAKUL PATIDAR, Lessee, R/o- 115, Village Rasulpur Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 2.00 ha. (Stone – 10000 m³/year & M-Sand – 5000 m³/year) (Khasra No. 173), Village Sarwani Bant Tehsil Ratlam District Ratlam (M.P.) [MIN/466642/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मूल्यांकन से संबंधित हे जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकुल पाटीदार ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघवउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रकुल पाटीदार पुत्र श्री बालमुकुंद पाटीदार 115, ग्राम रसूलपुर तहसील –जावरा जिला–रतलाम (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	(सरकारी)	2.0 Hectare.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

(सरकारी / निजी)	
स्थल	खसरा नं 173(शासकीय भूमि) ग्राम. सरवनीखुर्द, तहसील-जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के सैधांतिक पत्र क्र/802/खनिज/2023-24 दिनांक 11/04/2023 के द्वारा स्वीकृत । लीज अवधि 10 साल के लिए स्वीकृत है
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	सेक की 649 वीं बैठक दिनांक 07/06/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्र/741/SEIAA/2023 दिनांक 13/06/2023 श्री प्रकुल पाटीदार के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 वर्ग मीटर प्रति वर्ष पत्थर और 5,000 वर्ग मीटर प्रति वर्ष एम् सेंड हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 10,000 घन मीटर प्रति वर्ष पत्थर और 5,000 घन मीटर प्रति वर्ष एम् सेंड है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में .08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.10 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडोद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 116/2022 दिनांक 05/11/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशरएंडएम् सेंडलीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर पेड़ नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की स्थिति	<p>पूर्व दिशा— एक चेक डैम पूर्वी दिशा में लगभग 293 मीटर की दूरी पर स्थित है।</p> <p>दक्षिण दिशा— खदान के दक्षिण दिशा में 97 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है</p> <p>उत्तर दिशा— जमन नदी उत्तरी दिशा में 459 मीटर की दूरी पर स्थित है। खदान क्षेत्र से 55 मीटर की दूरी पर हॉल रोड है</p> <p>चारों दिशा— पट्टा क्षेत्र के भीतर व उत्खानी पट्टे की परिधि से 200 मीटर तक कोई जल रोकने की संरचना /सतही जल निकाय जैसे नाला या जलधारा नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वास्तव में ये उत्खनी पट्टा अत्यधिक उबड़ खाबड़/लहरदार इलाके पर स्थित हैं, तथा जरूरी साक्ष्यों का प्रमाण प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया गया है। एक चेक डैम पूर्वी दिशा में लगभग 293 मीटर की दूरी पर स्थित है। जमन नदी उत्तरी दिशा में 459 मीटर की दूरी पर स्थित है। खदान क्षेत्र से 55 मीटर की दूरी पर हॉल रोड है</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/2023 अनुसार उक्त उत्खनी पट्टा को अनुमोदित नविन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा
जन सुनवाई	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/02/2024 को संपन्न हुई</p> <ul style="list-style-type: none"> ● धूल उड़ने से रोका जावे एवं जल का छिडकाव किया जावे ● खदान क्षेत्र के पास तार फेंसिंग की जावे ● अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जावे <p>उपरोक्त आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **10,000 घन मीटर प्रति वर्षपत्थर और 5,000 घन मीटर प्रति वर्ष एम् सैंड**
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित केशर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर में वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 12.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.04 लाख प्रति वर्ष ।

1. EMP Table

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	For environment Protection		
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 550m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern. sedimentation tank	95000 40000	10000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 70 m, Width 5.5m (excluding shoulder) @Rs800/ meter	56,000	10000
4	contribution in Widening and maintenance of the existing approach road (Road length approx. 500m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	50000	5000
5	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	20,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

6	Plantation		
	A. Within Lease Area in Barrier Zone (570m) @ 150rs./tree (Total 570nos) covering the whole periphery of mine lease area	85500	10000
	Outside the Lease Area (along approach road 70 m) (including the Cost of tree guard for the plant)@500rs./tree (50nos)	25000	
	Plantation at prathamik shala school/ village Panchayat /play ground or available area @150s./tree (180nos)	27000	
	After consulting the villagers and Panchayat for distribution to the nearby villagers. 1600os @Rs 50/tree	80000	
	Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 250 per cubic meter. Each tree to take approx. 0.124 cubic meter, therefore approx. 99.2 cubic meters to be utilized in the plantation 800trees	25000	3000
6	Development and maintenance of Grazing land with local tree species like Themeda, Siran, Punia, Dichantium and Cymbopogon etc. in Khasra no 173.	40,000	-
7	Wire fence (605 m long) (@Rs 500/m)	3,02,500	10000
8	PUC certification of vehicles (02 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1000
9	Wind breaking wall : Total 110m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	55000	5000
10	Contribution in Cluster management plan	-	25000
11	Maintenance of M-sand Crusher Plant	-	50000
12	For Crusher Pollution control Equipment	2,00,000	50,000
13	Drinking Water Facility and rest shelter (15x15 ft.) with solar light	50000	8000
14	Two numbers toilet (12500X 2)	25000	2000
15	Occupational health checkup for workers & villagers (@twice/year)	Nil	30000
16	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in drilling	34000	10000

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

	works for max 2 workers only - (15 x Rs 2000+Rs 4,000 for safety harness @ Rs 2000 per set)		
17	Vocational Training for 15 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)(twice in the year)	-	15000
Emergency Rescue Plan			
18	Fire Fighting Equipments (1Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22000	5000
19	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	5000	2000
20	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 500 nos for carbon sequestration @Rs100/bulb	50,000	
Solid Waste Management			
	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	3,000	2000
	b) Transport of Dry Waste	2,000	
	Total	12,23,000	3,04,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि :- 1.20लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम सरवनीखुर्द में ग्राम के भूवेश स्वास्थ्य क एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूवेश मिलने के 06 माह के भीतर बैंक के खाते में जमा की जावेगी।	1,20,000/-
Total	1,20,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

1	बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, सफेदसिरिस करंज , सीताफल, चिरोल आदि ।	570
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि ।	50
2	सागोद गांव में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर. पुत्रंजीवा, आदि ।	100
3	थबरोद चोपति गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर. पुत्रंजीवा, आदि ।	80
4	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि ।	1600
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. P2/804/24 Shri GANPAT PATIDAR, Lessee, R/o-Village -Mundedi, Tehsil- Malhargarh, District-Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.06 ha. Stone (Gitti) 11,096 m³/year & M-Sand-11,096 m³/year (Khasra No. 7/1, 7/2, 5, 9 Village - Sokadi, Tehsil- Malhargarh, District-Mandsaur (M.P.) (TOR) [MIN/466955/2024] (TOR)

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri GANPAT PATIDAR, Lessee, R/o-Village -Mundedi, Tehsil- Malhargarh, District-Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	7/1, 7/2, 5, 9(निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड निजी भूमि के भू-स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	1.06 hectare.
स्थल	Village - Sokadi, Tehsil- Malhargarh, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 318 दिनांक 15/2/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti)—11,096 m ³ /year &M-Sand-11,096 m ³ /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti)—11,096 m ³ /year &M-Sand-11,096 m ³ /year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.022 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 07/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-20 दिनांक 06/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य किया जाना उचित होगा का प्रस्ताव पारित।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 07/07/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

19. Case No. P2/803/24 Shri MAHANDRA SALUJA, Owner, Damua Ward No.- 15, Tehsil- Junnardev, District- Chhindwara, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (4560 cum per annum) (Khasra No. 21) Village Bhaura Khapa Tehsil Jamai District Chhindwara (M.P.). [MIN/467493/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (B2)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MAHANDRA SALUJA, Owner, Damua Ward No.- 15, Tehsil- Junnardev, District- Chhindwara, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	21 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village Bhaura Khapa Tehsil Jamai District Chhindwara (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 5625 दिनांक 26/10/21 के द्वारा स्वीकृत ।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1481 दिनांक 07/11/16 के द्वारा पत्थर-4560 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-4560 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-4560 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/24 अनुसार खनिज क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तराई जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-23 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

20. Case No. P2/807/24 Shri HEMLATA KOTHARI, Owner, E4/308 Arera Colony , 10 Bus Stop, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (22480 cum per annum) (Khasra No. 88/1 Parts) Village Bamala Dad Tehsil Ichhawar District Sehore (M.P.). (TOR) [MIN/466589/2024] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri HEMLATA KOTHARI, Owner, E4/308 Arera Colony , 10 Bus Stop, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	88/1 Parts (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Bamala Dad Tehsil Ichhawar District Sehore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 9045 दिनांक 22/12/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-22480घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-22480घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6773 दिनांक 19/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.300 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6773 दिनांक 19/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

अनापत्ति	6773 दिनांक 19/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

21. Case No. P2/811/24 Shri GOURAV AGRAWAL, Owner, R/O- Gram Bamhani Banjar, Ward No-5, Tehsil & Distict Mandla (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.97 ha. (Stone-30,000 cum per annum & Muruum-10,526 cum per annum) (Khasra No. 232) Village- Gajna, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (M.P) [MIN/467590/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक Gaurav Agarwal S/o late Shri Ajay Agrawal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (रश्मि सारस्वत) online उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Lessee :- Gaurav Agrawal S/o Late Shri Ajay Agrawal R/o Gram Bahmani Banjar, Ward No. – 05, Tehsil – Mandla, District – Mandla (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल	निजी

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

(सरकारी / निजी)	1.97Ha.		
स्थल	Village – Ganja & Tehsil – Nainpur, District – Mandla (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला के पत्र क्रमांक 69A / खनिज / उ.प. / मण्डला दिनांक 15.01.2024 के अनुसार स्वीकृत।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नया प्रोजेक्ट है		
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट है		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गाजना) दिनांक - 15.03.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट है		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 29,999.6 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम 10,526 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 218 / खनिज / 2023 मण्डला दिनांक 14.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 218/खनिज/2023 मण्डला दिनांक 14.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 218/खनिज/2023 मण्डला दिनांक 14.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पाठासीहोरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 03.10.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र पर क्रेशर प्लांट प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा — पूर्व दिशा— पश्चिम दिशा—
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-के सरल क्रमांक- 117 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृ ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर 29,999.6 घनमीटर/वर्ष मुरुम 10,526 घनमीटर/वर्ष है।
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.72 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	60,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 500 Rs./per day X 300days	Nil	1,50,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [671M (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1010m , Width 6.0m) 1010m @ 100Rs./Meter	1,01,000	5,000
4	Plantation (1970 plants will be planted & Distribution during the first year)	2,63,500	15,000
5	Wire Fence 671 m x 200	1,34,200	10,000
Carbon Sequestration			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

6	For redusing Carbon foot print -Tree Adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
8	Occupational health Survey 11 Labour @ 500 Rs. = 5500 Rs./twice per year @500 x 2 x 11	Nil	11,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 11 labor @1200 Rs.	13,200	2,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	6,96,400	2,72,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्राम गजना के शासकीय माध्यमिक शाला को मरम्मत हेतु	50,000
Total		50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1970 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधोंकीकुलसंख्या - 2620				
अवस्था	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसंख्या	टिप्पणी

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रथमवर्ष	बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफ़ेद), जंगलजलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजा तियां	200	<ul style="list-style-type: none"> पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा । परिनालीकेनिर्माणकेदौराननिकलीहुईमिट्टीमेंसूब बूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिसऔरअन्यस्थानीयप्रजातियोंकेबीजबुवा ईकीजाएगी। ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमीविकसितकीजाएगी। तारकीबाड़कीसुरक्षाकेसाथ। गारलेंडड्रेनवसेटलिंगटैंककीबुंडपरबीजरोपणकिया जाइएगा।रखरखावलीजपीरियडतककियाजाएगा
प्रथमवर्ष	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300	<p>परिवहनमार्गकेदोनोंओरएकपंक्तिमें4 -5 फीटऊंचाईपौधोंकेवृक्षारोपणकिएजाएंगे।</p> <p>पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा।</p> <p>पौधोंकीसुरक्षाहेतुप्रभावशाली 6 फीटऊंचाईकाट्रीगार्ड।</p>
प्रथमवर्ष	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजाति यां	1070	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासीइनपेड़ोंकोअपनेखेतोंकीमेड़परलगाएं गे। गड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजा एगा। सुरक्षाहेतुतारकीबाड़कीजावेगी।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<ul style="list-style-type: none"> गड्ढेका आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्रीवाल की व्यवस्था है।
--	---------------------------------------	---	-----	--

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/838/2024 Smt. Gauri Sonwani, Ward No.6, Jamuniya Tehsil & District-Dindori (MP) 481661. Prior Environment Clearance for Jamuniya Mal Stone Quarry of Maa Swa Sahayta Samuh is located at Khasra No. - 913, 863, Village- Jamuniya Mal, Tehsil- Dindori, Dist.- Dindori (M.P.). The 1.00 ha deposit area with capacity of Stone- 2,000 m3 per year. [MIN/457998/2023]

प्रस्तावित खदान प्रस्तावित खदान को वास्तविक प्रकरण क्रमांक P2/838/24 है जबकि ऑनलाईन P2/810/24 हो गया है। इस प्रकरण को P2/838/24 पढ़ा जावे, जिसका आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक गौरी सोनवानी सदस्य माँ स्व सहायता समूह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd., Noida, (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	गौरी सोनवानी सदस्य माँ स्व सहायता समूह	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय	1.00Ha.
स्थल	Village Jamuniya Mal, Tehsil Dindori, District Dindori	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	हाथ से तोड़कर गिट्टी निर्माण प्रणाली से खनन	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जमुनिया माल दिनांक 15.06.2023	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 2000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 2000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 700 दिनांक 29.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.720 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 700 दिनांक 29.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 700 दिनांक 29.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण रास्ता नहीं है । कच्चा रास्ता 40 मी., पक्का रास्ता 320 मी. है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जमुनिया माल जिला डिंडोरी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हाँ
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 02 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण-निरंक
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	उत्तर दिशा- पक्का रास्ता 320 मी.
	दक्षिण दिशा-आबादी 770 मी.
	पूर्व दिशा- कच्चा रास्ता 40 मी. ,
	पश्चिम दिशा--
सिया में ईसी हेतु	.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्यायन-13 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Basalt Stone – 90,000 m3/Year and Murrum – 12000 m3/Year** ।

EMP Table

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of water tanker (4000L) @ Rs.400/Day (PP owned tanker) for 50 days – Rs. 20000/-	-	20,000
2	Garland Drain (1.5m wide, 2m deep, 540m Long) 1 settling tank (4m wide, 10m Long, 4m Deep)	30,000	25,000
2 (A)	Wire Fencing Around Lease Area (540m * 500rs/m)	2,70,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (290m)	1,45,000	15,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 1000 x Rs.200 Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 200 (200 X Rs.500)	3,00,000	30,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @ 15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	5,000
8	Medical Check-up for 10 workers @ 500/worker (twice in a year)	-	5,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment @ 21000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	42,000	2,000
10	PPEs for other mining operations for 10 worker @ Rs. 1500/worker	15,000	-
11	01 Shelter rooms for labors (20*20) = 400 Square feet	30,000	3,000
12	Vocational Training of Workers (10 nos)	-	10,000
13	Half yearly PUC certification for 1 trucks @ 1000/truck	-	1,000
14	Signage & Warning Boards	2,000	-
15	Carbon Foot Print	30,000	-
	Total	9,04,000	1,68,000

3. CER Table

आगामी 5 वर्षतक	सी.इ.आर. मदसेप्रस्तावितगतिविधि	राशि (रु. में)
1	जमुनियामालप्राथमिकशालामेंवाटरफिल्टर	20,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	900

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	200
3.	गाँववितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. P2/812/24 INDRA FARKYA, Lease owner, R/O- Shamgarh, Tehsil- Shamgarh, Dist- Mandsaur (M.P.) M.P. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 0.60 ha. (Stone - 2850 m³/Year M-Sand – 2850 m³/Year) (Khasra No. 82), Village-Ghatiya, Tehsil- Ghatiya, District-Ujjain, (M.P.) [MIN/466992/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नयी पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति इंद्रा फरक्या पिता श्री संजय फरक्या एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Indra Farkya, W/o Shri Sanjay Farkya, R/o- 45/16, Rishi Nagar, Ujjain, Dist.-Ujjain, Madhya Pradesh- 456010	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	82 (Govt. land), (शासकिय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड, नोइसत-निस्तार)	0.600 Ha
स्थल	Village- Ghatiya, Tehsil- Ghatiya, Dist.- Ujjain Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश मध्य प्रदेश	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	के पत्र 753/उ.प./न.क./88-11/खनिज/2022-23 दिनांक 10/05/22 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 5,700 घनमीटर/वर्ष जिसमें (स्टोन-2,850घनमीटर/वर्ष व एम-सेण्ड - 2,850 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार कुल 5,700 घनमीटर/वर्ष जिसमें (स्टोन-2,850घनमीटर/वर्ष व एम-सेण्ड - 2,850 घनमीटर/वर्ष) है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाउज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान संचालित/स्वीकृत है, कुल क्षेत्र 3.20 हेक्टेयर है। अतः यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाउज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाउज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घटियाजिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/04/20123 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है और एम सैंड प्लांट बाहर लगेगा।
प्रस्तावित स्थल की	उत्तर दिशा- पक्की सडक 800 मी. की दूरी पर स्थित है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – आबादी 763 मी. की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा – कच्ची सडक 200 मी. पर की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 19/03/2024 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर ली जायेगी है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 –जारीपत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घटिया स्टोन व एम-सेण्ड माइन पर पत्थर (केशर आधारित) की पर्यावरणीय स्वीकृति पूर्व में श्री दिनेश प्रजापति को सिया से प्राप्त हो चुकि है जिसका पत्र क्रमांक 10685/सिया/2016 दिनांक 23/01/2016 तथा लीज अवधि 23/01/2014 से 22/01/2024 तक थी। उक्त लीज पत्र क्रमांक 753/उ.प./न.क्र./8811/खनिज/2022-23 दिनांक 10/05/2022 को श्रीमति इंद्रा फरक्या पत्नि श्री संजय फरक्या को हस्तांतरित की गई है। तथा लीज का नवीनीकरण पत्र क्रमांक 14/खनिज/उ.प./न.क्र.01/2024, भोपाल दिनांक 17/01/2024 के तहत लीज अवधि 23/01/2024 से 22/03/2034 तक के लिए हो गई है। सहायक मानचित्रकार के ग्राम घटिया की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 82 के रकबा 9.0 हेक्टेयर क्षेत्र में से प्रतिबंधित दुरी छोड़ने के उपरांत रकबा 0.600 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनिपट्ट स्वीकृत हेतु उपलब्ध बताया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि ई.सी. क्रमांक 10685 दिनांक 23.01.16 प्रकरण क्रमांक 3831/2016 के संबंध में जारी ई.सी. में दर्शाता कि समस्त शर्तों का पालन नवीन परियोजना प्रस्तावक श्रीमती इंद्रा फारक्या द्वारा भू-प्रवेश के बाद 03 माह में पूर्ण कर लिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. गौड खनिज नियम 1996 व अधिसूचित संशोधन दिनांक 22/1/2021 में स्पष्टउल्लेख है। कि उत्खनन के लिए न्यूनतम एक हेक्टर का क्षेत्र हो किन्तु पट्टे के नवीनीकरण की दशा में,उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –कुल 5,700 घनमीटर/वर्ष जिसमें (स्टोन-2850घनमीटर/वर्ष व एम-सेण्ड – 2850 घनमीटर/वर्ष)

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रू. 8.06/- एवं रिकरिंग राशि रू. 4.31/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	50,000
1 (b)	Cost of water of 4000 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days	NIL	1,12,500
2	Garland Drain is proposed (283m x 1.5m x 1.5m) Settling Tank is 15m x 04m x 1.5m (02 No.) Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m (02 No.)	50,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mx 5m) @300/sqm	3,00,000	22,500
4	Barbed Fencing (313m x Rs.300)	93,900	9,390
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation –300 Plants for One years 300 xRs.200= Rs. 60,000/-	1,26,000	12,600
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation 100 Plants for one years 100xRs.500= Rs 50,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 320 Plants for one (320X Rs. 50)= Rs. 16000/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 10--11labour@Rs.10,000/cooler)&Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	10,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

9	Medical Check-up for 10-11 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	-	2,000
11	PPEs for other mining operations for 10-12 workers @ Rs. 1500/worker	15,000	2,000
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	Already Provided	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 2 trucks @1000/truck	NIL	4,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	Nil	NIL
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	1,00,000	10,000
18	Vocational trainings for 10-11 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	Nil	5,000
19	Distribution of LED bulb for carbon sequestration	40,000	
	Total	8,06,900/-	4,31,890/-

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम घटिया के प्राथमिक स्कूल के लिए 1 कंप्यूटर तथा फर्नीचर हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि जमा करवाया जावेगा।	60,000 /—

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ग्राम घटिया के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा प्रथमवर्ष में किया जायेगा।	60,000 /—
योग	1,20,000 /—

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 720 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत घटिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	300
2	घटिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P2/813/24 Shri Rakesh Raghuwanshi, Hira bagh Colony, Guna Distt. – Guna (M.P.) 473001 Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone with a

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

Production Capacity of 5,985 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 2.00 Ha., Khasra no. – 2/1 Min-1, Village – Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt- Guna(M.P.). [MIN/467552/2024] ToR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावकके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Rakesh Raghuwanshi, Hira bagh Colony, Guna Distt. – Guna (M.P.) 473001, Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone with a Production Capacity of 5,985 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 2.00 Ha., Khasra no. - 2/1 Min-1, Village - Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt- Guna(M.P.). <u>ToR Case. DEIAA to SEIAA.</u> SIA/MP/MIN/467552/2024.	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. – 2/1 Min-1,,	एरिया – 2.00 ha., शासकीय भूमि
Intimation ID	1117/16/406/2016/419039	
परियोजना स्थल	Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt- Guna(M.P.).	
Description of Project	This is a crusher stone quarry. This Case belongs to the B1 category due to the proposed excavation area is a Cluster of Mines In these 5 hectares. and its minable reserve production is 3,88,090 Cub Meters and its annual production is 5,985 Cub meters, Khasra no.-2/1 Min-1, Village- Piproda Khurd, Tehsil– Guna, Distt- Guna(M.P.).	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 3320 दिनांक 24/04/2018.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	BROAD BLASTING & DRILLING PARARMETERS.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Guna vide letter no. 56 dated 12/03/2018. Capacity – 5,985M ³ /Year.	
उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Stone (Gitti) - 5,985 m ³ /Year,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 599 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 24.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 599 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 10	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 599 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ 120 मी. की दूरी पर नाला है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – पिपरोदा खुर्द, जिला – गुना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र०. 24 दिनांक 02/10/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैधता	Valid up to 14/09/2023.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-110 के सरल क्र०. -11 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

25. Case No. P2/814/24 Shri UMESH SAHU, Lessee, R/o- Mahaveer ward Multai, District- Betul (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (4,950 cum per annum) (Khasra No. 642/1) Village Baghoda, Tehsil Multai, District Betul (M.P.). [MIN/468089/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश साहू एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री उमेश साहू पिता श्री इमरतलाल साहू निवासी महावीर वार्ड मुलताई, तहसील मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. 642 (निजीस्वयं –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 Hectare.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village-Baghoda Tehsil -Multai, District-Betul (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक खनिज-1/2017/481 दिनांक 18/04/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण । B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 109/DEIAA/2017 दिनांक 01/04/2017 के द्वारा पत्थर-4950 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 4950घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 4950 घनमीटर/वर्ष है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-1/2023/1663 दिनांक 09.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 1.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-1/2023/1663 दिनांक 09.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-1/2023/1663 दिनांक 09.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बघोड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25.06.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 0

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	दक्षिण दिशा- उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 45 मीटर पर एक छोटा नाला परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया की नाले से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा पूर्व दिशा - कच्चा रोड लगभग 92 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-22 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739 वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार वर्तमान में खनन कि गहरायी बेंच निर्मित करने

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	कि परिस्थिति तक नहीं पहुंची है ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 40 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Stone – 4950 m³/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.27 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.65 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)
-------	-------------	------------------------

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

A. <u>For environment Protection</u>			
		Capital	Recurri ng
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 320 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	52,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 140 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	35,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1200 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~410m periphery of Mine lease boundary (400 nos.)	60,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) 1st year- 50 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) 2nd year- 50 nos. at Govt. school premisis @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 700 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25,000 7,500 35,000	10,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain	6,000	1,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

6	Total Wire Fencing = (~410m long) - {60% completed= 245 m} (40% Remaining to be installed = 165m @500 Rs./m	82,500	10,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	25000	
17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 100 nos @Rs 120 /bulb for carbon sequestration	12000	
Total		4,27,000	1,65,500

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ग्राम बघोड़ा स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित प्रदान की जावेगी.	40,000/-
कुल	40,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- आम, संतरा, जामुन, सीताफल, जंगल जलेबी, नीम आंवला, मुनगा हाइब्रिड गुआवा, कटहल अचार आदि	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	50
3	ग्राम बघोड़ा में स्थित मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

26. Case No. 9833/23 SACHIN PATNI, Partner, Sand Stone Crusher, Bada Bazar, Unhel, Dist. Ujjain Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 7.620 ha. (M-Sand-230000, Stone-9400 Cum per annum) (Khasra No. 43 & 44), Village Akyanajik Tehsil Nagda District Ujjain (Madhya Pradesh) [MIN/468064/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **सचिन पाटनी, ऑनलाईन** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	सचिन पाटनी निवासी स्टेशन रोड, उन्हेल, जिला – उज्जैन मध्य प्रदेश
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43, 44 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत- चरनोई.
स्थल	Village- Akyanajik, Tehsil- Nagda, District- Ujjain , State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 17273 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 9,400 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 2,30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 9,400 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 2,30,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	ToR Recommended in 641 th SEAC Meeting dated 03/05/2023. TOR Letter no. 1752/SEIAA/2023, dated 17/10/2023
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 509/2022-23उज्जैन दिनांक 28/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 7 अन्य खदान जिसका रकबा 26 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 509/2022-23उज्जैन दिनांक 28/03/2023 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 509/2022-23उज्जैन दिनांक 28/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन,

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्यानजिक जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 26/01/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-07 । ● 7 पेड़ काटा जायेगा एवं उनके स्थान पर 10 गुना अर्थात् 70 वृक्ष अतिरिक्त लगाये जायेंगे ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● उत्तर दिशा में कच्चा रोड 4 मीटर पर, 46 मीटरका सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है । ● पूर्व दिशा में पक्का रोड 424 मीटर पर ● दक्षिण दिशा में पक्का रोड 51 मीटर पर 149 मीटरका सेटबैक देते हुए ● नॉन माइनिंग एरिया छोड़ा गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक व्यू 509/2022-23उज्जैन दिनांक 28/03/2023 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 –जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- पत्थर-**9,400** घनमीटर/वर्ष और एम सैंड**2,30,000** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.41 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	2,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 4,650 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	2,09,250
2	Garland Drain is proposed (520m x1.5mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 2.0m (03Nos.)	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (85m X 5m) @500/sqm	2,12,500	21,250
4	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/ plants. Total 1200 Saplings- (1200 x Rs.200) = 2,40,000/-	621,520	62,152
	Plantation in Village & School @ Rs. 50/ plant. Total 6,884 Saplings- (6,884 X Rs. 30)= 2,06,520/-		
	Plantation in Approach Road @ Rs. 500/plant. Total 100 Saplings- (100 x Rs.500)= 50,000/-		
	Plantation in Non-Mining Area @ Rs. 50/ plant. Total 500 Saplings- (500 x Rs.200) = 100,000/-		
	Plantation for Charagaha development @ Rs. 50/ plant. Total 500 Saplings- (500 x Rs. 50) = 25,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water once in a year) 1,50,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	20,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 20 workers+ (2 Extra) =22@ Rs. 1500/worker	33,000	3,300
11	Shelter rooms for labors (20*10) =200Square feet @Rs.800/square ft.	1,60,000	16,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 10 trucks @1000/truck	NIL	20,000
14	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	NIL	37000
	Barbed fencing for 1,035m @ 300/meter	3,10,500	3,105
15	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed within lease area M-sand and crusher plant has been installed outside of the lease area	
16	Vocational Training for 20 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	10,000
17	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	1,00,000	10,000
18	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	100,000	-
19	Due to water percolation loss, Deeping of pond	50,000	
	Total	19,87,520 /-	6,41,057/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
बच्चों की शिक्षा के लिए आक्यानजिक के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक	40,000/-

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	
ग्राम आक्यानजिक मे 01 हैडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था प्रथम वर्ष मे की जाएगी।	40,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 9204 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन गैर-खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1700
2	परिवहन मार्ग (85 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	100
3	आक्यानजिक तथा आस-पास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	6884
4	आक्यानजिक शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
5	चारागाह के विकास हेतु	नीम के बीज, जंगल जलेबी, और बेल, देशी घास अन्य चरागाह प्रजातियाँ।	500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No. P2/817/24 Shri Rajesh Jain, Lessee, Near to Jain Petrol Pump, Birsinghpur Pali, District- Umaria, (M.P.) – 482001 Prior Environment Clearance for Pakarbagharra Mal Crusher Stone Quarry an Area – 4.00 ha., Stone –71,717 M3/Year. Khasra No. – 55/2, at Village – Pakar Mya Bagharra Mal, Tehsil- Dindori, Distt. – Dindori (M.P.). B2 (Form-2 DEIAA to SEIAA). [MIN/468036/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajesh Jain एवं उनके

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 21.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s Saraswati Stone Crusher (Rajesh Kumar Jain Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Saraswati Stone Crusher (Authorized Signatory) R/o Near Jain Petrol Pump, Birsinghpur pali, District – Umariya State – Madhya Pradesh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी 4.00Ha.			
स्थल	Village – Pakarbagharra & Tehsil & District – Dindori (M.P)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिंडोरीके पत्र क्रमांक 144 / खनिज/उ.प./2018 डिंडोरी दिनांक 12.03.2018 के अनुसार स्वीकृत।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का उत्पादन क्षमता 71,717 घनमीटर/वर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पकरबघर्रा) दिनांक - 01.04.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, डिंडोरी के पत्र क्रमांक 65/डिया/खनिज/ 2018 डिंडोरी दिनांक 03.02.2018 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case (डिया प्रकरण)
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 71,717 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 560/खनिज/2023 डिंडोरी दिनांक 18.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 560/खनिज/2023 डिंडोरी दिनांक 18.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 560/खनिज/2023 डिंडोरी दिनांक 18.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पकरबघर्रा जिला डिंडोरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 18.08.2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र पर केशर प्लांट प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	उत्तर दिशा— 50 मीटर दूर दक्षिण दिशा में कच्चा रोड दक्षिण दिशा — 60 मीटर दूर दक्षिण दिशा में मौसमी नदी पूर्व दिशा— पश्चिम दिशा—
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—103के सरल क्रमांक— 23 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई । समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान गई। स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृ ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर— 71,717 घनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.36 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	80,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 700 Rs./per day X 300days	Nil	2,10,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [834M (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 690m , Width 6.0m) 690m @ 100Rs./Meter	69,000	5,000
4	Plantation (4000 plants will be planted & Distribution during the first year)	3,95,000	15,000
5	Wire Fence 988 m x 200	1,97,600	10,000
Carbon Sequestration			
6	For redusing Carbon foot print -Tree Adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
9	Occupational health Survey 15 Labour @ 500 Rs. = 7500 Rs./twice per year @500 x 2 x 15	Nil	15,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 15 labor @ 1200 Rs.	18,000	2,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
12	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

14	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	8,84,100	3,36,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्रामपाकरबधरकेशासकीयमाध्यमिकशालाकोमरम्मतहेतु	70,000
	Total	70,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधोंकीकुलसंख्या - 2620				
अवस्था	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसंख्या	टिप्पणी
प्रथमवर्ष	बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफ़ेद), जंगलजलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> • पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। • परिनालीकेनिर्माणकेदौराननिकलीहुईमिट्टीमेंसूब बूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिसऔरअन्यस्थानीयप्रजातियोंकेबीजबुवाईकीजाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमीविकसितकीजाएगी। • तारकीबाड़कीसुरक्षाकेसाथ। • गारलैंडड्रेनवसेटलिंगटैंककीबुंडपरबीजरोपणकिया जाइएगा।रखरखावलीजपीरियडतककियाजाएगा

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रथम वर्ष	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4 - 5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।
प्रथम वर्ष	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2500	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु तार की बाड़ की जावेगी।
	ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600	<ul style="list-style-type: none"> गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. P2/815/24 Shri MURLIDHAR BATHIJA, Lease Owner, Plot No 7, Govindkunj, Napier Town Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (9,189 cum per annum) (Khasra No. 60 Part) Village- Manegaon, Tehsil-Jabalpur, Dist-Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467690/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] TOR

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MURLIDHAR BATHIJA, Lease Owner, Plot No 7, Govindkunj, Napier Town Jabalpur (M.P.)

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	60 Part(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Manegaon, Tehsil- Jabalpur, Dist-Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 935 दिनांक 01/06/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 104 दिनांक 11/05/17 के द्वारा पत्थर-9620 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,189घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-9,189 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 01/11/23 अनुसार 170 मीटर पर नाला एवं 340 मीटर पर रोड़ स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगेली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

29. Case No. 10187/23 Shri AMIT CHAUHAN, Owner, R/o-Adaypur Kamarjee Tehsil-Churhat, District- Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.760 ha. (17,447 cum per annum) (Khasra No. 13/2/1, 13/2/2, 13/3/1, 14/1 & 8/1) Villsge Harraha, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.). [MIN/468150/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri AMIT CHAUHAN, Owner, R/o-Adaypur Kamarjee Tehsil-Churhat, District- Sidhi (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/2/1, 13/2/2, 13/3/1, 14/1 & 8/1 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड निजी भूमि के भू-स्वामी परियोजना प्रस्ताव स्वयं) 1.760 hectare.
स्थल	Villsge Harraha, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 8726 दिनांक 22/12/22 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
टॉर	सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1274 दिनांक 12/09/23 के द्वारा पत्थर-17,447 के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-17,447 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-17,447 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 16 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 25.226 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और खदान से वन क्षेत्र की दूरी 50 मीटर, आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	05/08/22 को समिति द्वारा वन सीमा से 50 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 300 मीटर की दूरी पर 3-4 मकान, 180 मीटर की दूरी पर शासकीय भवन, 10 मीटर की दूरी पर रास्ता एवं 240 मीटर की दूरी पर नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 01/05/23 अनुसार उक्त खदान को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है ।

30. Case No. P2/816/24 Shri SUNITA SINGH, Lease Owner, 1070, Sanjeewni Nagar, Distt. Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (26,988 cum per annum) (Khasra No.8/8) Village- Ghutiya, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467650/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजिआबाद, उ.प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SUNITA SINGH, Lease Owner, 1070, Sanjeewni Nagar, Distt. Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	8/8 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Ghutiya, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.).	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 23/02/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 245 दिनांक 08/11/17 के द्वारा पत्थर-26,988 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-26,988घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-26,988घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 18/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.85 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 18/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 18/12/23 अनुसार गूगल अर्थ मेप अनुसार 250 मीटर पर पक्की सड़क प्रतीत होती है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 02/10/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-37 के सरल क्रमांक-56 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

31. 11279/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Shakrigarh Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 103), Village-Sakrigarh, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 103 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम –शकरीगढ़, तहसील –बड़वारा,जिला –कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम शकरीगढ़रेत खदान, दिनांक- 18/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा शकरीगढ़ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 54,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2162 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 3.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2162 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2162 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्राम परसवारा, तहसील-बरही, (आवेदित क्षेत्र से 150-200 मीटर के अंदर) मानवबसाहट स्थित हैं। शैक्षणिक संस्था चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सकरीगढ़ जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 03/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-18 एवं पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

<p>जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)</p>	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई ।</p> <p>आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>
---	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र से लगभग 718 मी. पर अप-स्ट्रीम में रेल्वे ब्रिज है जो 500 मी. से अधिक दूरी पर है। अतः खनन हेतु 3.00 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है। अतः रेत की उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -54000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 8.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.38 लाख प्रति वर्ष ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 2.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		3,12,500
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(650X150 = ₹97,500)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500 = ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2800X50 = ₹ 1,40,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (25 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	25,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

	iv) Noise Pollution		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 31	30,000	3000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 31 Labors -31× 500 × 2)	-	31,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 31workers - 31× 1500)	46,500	9,300
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6000	-
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	8,51,000	3,38,768

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,30,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू.में)
सी.ई.आर. मद से 1,30,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम शकरीगढ़ (बसाड़ी) के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,30,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 850 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2800 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	650
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2800
कुल			3600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p>			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32.10951/2023 Shri Ramesh Bhumarkar, OIC-Dy. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Pura Payra River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 129, 577/1), Village-Pura, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कोपरा नदी पर स्थित है, जिसमें आज को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	129 एवं 577/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम-पुरा पायरा, तहसील-पथरिया, जिला- दमोह, मध्य प्रदेश (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6, भोपाल दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/606 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मण्डला खिरिया रेत खदान एवं पायरा पुरारेत खदान हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/606 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/606 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरवासा, ग्रामसभा- पुरा पायरा, जिला-दमोह के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 05/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई। 1. रेत की धुलाई से धूल उड़ेगी उसका कोई उपाय किया जाये। 2. CER के फंड का उपयोग ग्राम विकास में किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र दो भागों में है एवं लीज क्षेत्र के बीच में एक रोड ब्रिज है। गुगल ईमेज के अनुसार ब्रिज के अप-स्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में सेटबेक छोड़ने के बाद खनन हेतु 1.59 हेक्टेयर खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः डी.एस.आर के अनुसार गहराई 0.5

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -1000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.34 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

.No	Particulars	Pura Payra - River Sand Quarry	
		Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

1	Cost for Water	-	76,680
2	Pucca Approach Road construction with speed breakers, Reflectors, development of T-Point	1,50,000	15,000
3	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area, roads & Social Forestry	42500	4250
5	PUC certification for trucks	Nil	1000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20000	2000
7	Separate Bio - Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	14000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	21000
10	VT Training for Labours	Nil	7000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	a) Bins 2 nos	3000	Nil
Total		2,71,500	2,34,930

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 25,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम पुरा पायरा में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	25,000.00
कुल	25000.00

2. **वृक्षा रोपण**— नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) ग्रामपुरा पायरा एवं आसपास के ग्राम में कम से कम 250 पौधे का रोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
------	---------------------------	---------------------	--------

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

			(संख्या में)
1	ग्रामपुरा पायराएवंआसपास के ग्राम में पौधेवितरण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	250
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाडा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आडे-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33.10950/2023 Shri Ramesh Bhumarkar, OIC-Dy. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Alera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Devri-Krishundas River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 01, 12), Village-Devrikiashandash, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कोपरा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद,तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

नाम व पता	हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 एवं 12 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम-देवरी-किशुनदास, तहसील-दमोह जिला- दमोह, मध्य प्रदेश (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 भोपाल दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1200 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1200 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/598 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में छपरात रेत खदान एवं बरवासा रेत खदान हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/598 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/598 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरवासा, ग्रामसभा-देवरी-किशुनदास, जिला-दमोह के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 04/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई। 1. खदान क्षेत्र पर जाने के लिए रस्ते की आवश्यकता हैं एवं घाट के निर्माण	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	<p>की आवश्यकता रहेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. रेत खनन JCB से होगी या मजदूर के द्वारा खुदेगी, आवागमन से वायु प्रदूषण होगा उसके लिये क्या व्यवस्था होगी। 3. ये खदान परियोजना किस विषय में है। गाँव का विकास हो जिससे हम सहमत हैं। 4. आवागमन के लिए ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग होगा।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के समीप एक रोड ब्रिज है, खदान क्षेत्र से 500 मी. व 250 मी. का सेट बेक देने के बाद माईनेबल एरिया 1.64 हे. बचता है। अतः खनन हेतु 1.64 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है। अतः डी.एस.आर के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1200 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -1200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.46 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	78,480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, Reflectors.	2,47,500	24,750
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water)	Nil	84,000
4	Plantation within the Buffer area & approach roads	42,500	4,250
5	PUC certification for trucks	Nil	1,000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20,000	2,000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30,000	3,000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	14,000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	21,000
10	VT Training for Labours	Nil	7,000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	16,000	2,000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10,000	5,000
D. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	3,000	-
Total		3,69,000	2,46,480

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 25,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम देवरी-किशुनदास के समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	25000.00
कुल	25000.00

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(ग्रामपुरा पायराएवंआसपास के ग्राम में कम से कम 250पौधे का रोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्रामदेवरी- किशुनदासएवंआसपास के ग्राम में पौधेवितरण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	250
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आडे-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34.10947/2023 Shri Ramesh Bhumarkar, OIC-Dy. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Aak - Kheda - River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 01, 213), Village-Ankh Kheda, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP)

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कोपरा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरोन प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 एवं 213 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम-आँकखेड़ा, तहसील-दमोह जिला- दमोह, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6, भोपाल दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1000 घनमी./वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/592 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में बडागांव रेत खदान हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/592 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/592 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरवासा, ग्रामसभा- आँकखेड़ा, जिला-दमोह के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 03/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई। 1. किनारे ना काटे खेत के और ना ही खेत से रास्ता बनाएं। 2. ग्राम की सड़क पर पर्यावरण प्रदूषण न हो सड़कों को परिवहन से क्षति ना हो।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के बीच में एक स्टाप डेम स्थित है। अतः अप स्टीम में 250 मी. व डाउन स्टीम में 500 मी. का सेट बेक देने के उपरांत माईनेबल एरिया 3.0 हे. बचता है। अतः खनन हेतु 3.0 हेक्टेयर खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः डी.एस.आर के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -1000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.70 लाख प्रति वर्ष ।

.EMP Budget

S.No	Particulars	Aak- Kheda-River Sand Quarry	
		Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	87480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors,	400000	40000
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area & approach roads	42500	4250
5	PUC certification for trucks	Nil	1000
B. Labour Welfare			
6	Shelter rooms for labours	20000	2000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	14000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	21000
10	VT Training for Labours	Nil	7000
C. Emergency Rescue Plan			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

11	First Aid Box & firefighting Equipment	29000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	3000	
Total		5,34500	270730

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम ऑकखेड़ा के समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	25000.00
कुल	25000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(ग्रामऑकखेड़ा एवंआसपास के ग्राम में कम से कम 250पौधे का रोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्रामऑकखेड़ा,एवंआसपास के ग्राम में पौधेवितरण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	250
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35.10948/2023 Shri Ramesh Bhumarkar, OIC-Dy. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chhaprat River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 197, 110), Village-Chhaprat, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कोपरा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197 एवं 110 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम-छपरट, तहसील-पथरिया, जिला- दमोह, मध्य प्रदेश (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 भोपाल दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1200 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1200 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/604 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में बरवासा रेत खदान एवं देवरी किशुनदास रेत खदान हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/604 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/604 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरवासा, ग्रामसभा-छपरट, जिला-दमोह के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 06/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई। <ol style="list-style-type: none"> 1. खदान क्षेत्र पर जाने के लिए रस्ते की आवश्यकता हैं एवं घाट के निर्माण की आवश्यकता रहेगी। 2. रेत खनन JCB से होगी या मजदूर के द्वारा खुदेगी, आवागमन से वायु प्रदूषण होगा उसके लिये क्या व्यवस्था होगी? 3. ये खदान परियोजना किस विषय में है। गाँव का विकास हो जिससे हम सहमत हैं। 4. CSR के फंड का उपयोग कहाँ करेंगे? 5. ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा ?

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के बाईं तरफ 250 मी. पर एक स्टाप डेम है, निर्धारित 250 मी. व 500 मी. का सेट बैक देने के उपरांत माईनेबल एरिया 1.88 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः डी.एस.आर के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1200 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

उत्पादन क्षमता रेत –1200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.57 लाख प्रति वर्ष ।

EMP BUDGET

S. No.	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	8,89,000
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors	2,52,000	25200
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water)	Nil	84000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

S. No.	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
4	Plantation within the Buffer area & Approach roads	42,500	4,250
5	PUC certification for trucks	Nil	1000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20000	2000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	14000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	21,000
10	VT Training for Labours	Nil	7000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	3000	
Total		3,73,500	2,57,370

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम छपरट के समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	25000.00
कुल	25000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(ग्रामछपरट एवंआसपास के ग्राम में कम से कम 250पौधे का रोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

2	ग्रामछपरटके आसपास एंवग्राम में पौधेवितरण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	250
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाडा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आडे-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36.11269/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Gudakalan Sand Quarry in an area of 16.00 ha. (240000 cum per year) (Khasra No. 382), Village-Guda Kalan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 382 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.00 हे.
स्थल	ग्राम –गूढाकला, तहसील –बड़वारा,जिला –कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गूढाकला रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गूढाकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत –2,40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 240,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2152 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 1.70हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.70अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2152 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2152 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/ वैश्विक संस्थास्थित हैं। एवं चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गैल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सकरीगढ़ जिला कटनी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-15 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि संबंधित खदान नवीन खदान है, पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि खदान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समिति द्वारा संबंधित खदान के परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया गया है।

37.11282/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bhimpar Sand Quarry in an area of 7.30 ha. (105120 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Bhimpar, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.30 हे.
स्थल	ग्राम –भीमपार, तहसील – विजयराघवगढ,जिला –कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भीमपार रेत खदान, दिनांक- 24/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भीमपार रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -1,05,120 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,05,120घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका कुल रकबा 6.29 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 13.59 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं। आवेदित क्षेत्र वनकक्ष क्र. आर. एफ. 20 से पूर्व दि. 11 में लगभग 118 मीटर की दूरी पर है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार कार्यालय वनमंडल अधिकारी सामान्य वन मण्डल कटनी (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 4728 दिनांक 04/08/2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र नजदीकी वन कक्ष क्रमांक आर एफ 20 से पूर्व दिशा में लगभग 118 मीटर दूरी पर है । अतः आपत्ति योग्य है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/ वैश्विक संस्थाचिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। पक्का रास्ता 200 मीटर दूर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हन्तला के अंतर्गत ग्राम भिमपार, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 03/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-31 एवं पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र से डाउन स्ट्रीम में 209 मी. पर एक रोड ब्रिज है। निर्धारित 250 मी. का सेट बैक देने के उपरांत माईनेबल एरिया 3.25 हे. खनन हेतु लीज क्षेत्र उपलब्ध होता है, साथ ही यह पाया गया कि लीज क्षेत्र वन क्षेत्र से 250 मी. के अंदर स्थित है। अतः नियमानुसार राजस्व आयुक्त समिति से उत्खनन हेतु अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समिति द्वारा संबंधित खदान को नियमानुसार राजस्व आयुक्त समिति से उत्खनन हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया गया है।

38.11261/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Banjari Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 1165), Village-Banjari, Tehsil-Vijayraghvarh, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 1165 (सासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम –बंजारी, तहसील –विजयराघवगढ़,जिला –कटनी, म. प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बंजारीरेत खदान, दिनांक- 11/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गूढाकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत –60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 60,000घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2175 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.30हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.30 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का	

**755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024**

	हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2175 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2175 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/पैक्षणिक संस्था चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बंजारी जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 06/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-33 एवं पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र से 250 मी. क्षेत्र के अंदर वन क्षेत्र की सीमा लगी हुई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में राजस्व आयुक्त समिति से उत्खनन हेतु अनापत्ति पत्र क्रमांक 1450 दिनांक 19.01.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें खदान से वन क्षेत्र की ओर चैनलिंग एवं फेन्सिंग किये जाने की शर्त निर्धारित की गई है। खदान के आसपास कोई अन्य संरचना नहीं है। अतः 4.0 हे. क्षेत्र लीज क्षेत्र में रेत उत्खनन हेतु अधिकतम 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

9. राजस्व आयुक्त समिति से उत्खनन हेतु प्राप्त अनापत्ति पत्र क्रमांक 1450 दिनांक 19.01.2024 के अनुसार खदान से वन क्षेत्र की ओर चैनलिंग एवं फेन्सिंग एवं अन्य शर्तों का पालन किया जायें।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.06 लाख प्रति वर्ष।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1200X150 = ₹1,80,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	4,27,500
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3450X50 = ₹ 1,72,500)	85,500
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (63 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	28,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water	30,000	3,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 34		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 34 Labors - 34× 500 × 2)	-	34,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 34 workers - 34 × 1500)	51,000	8,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/- INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	9,99,500/-	4,06,500/-

- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बंजारी के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला	1,30,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

विकास कार्य हेतु भू-प्रवेश के 03 माह क अंदर जमा कर दी जावेगी	
कुल	1,30,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3450 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3450
कुल			4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39.11324/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bhadaura Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (52500 cum per year) (Khasra No. 181), Village-Bhadaura, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 181 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.50 हे.
स्थल	ग्राम - भदौरा, तहसील –बड़वारा,जिला–कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भदौरा रेत खदान, दिनांक- 26/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भदौरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 01/02/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -52500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 52,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 3.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.50 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहत/ वैश्विक संस्थास्थित हैं। एवं चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भदौरा जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक-17 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 04 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि संबंधित खदान नवीन खदान है, पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि खदान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः समिति द्वारा संबंधित खदान के परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया गया है ।

40.11267/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bahirghata Sand Mine in an area of 16.150 ha. (290700 cum per year) (Khasra No. 71, 186, 631), Village-Bahirghata, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
-----------------------	--

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश टा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. -71,186,631 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.150 हे.
स्थल	ग्राम –बहिरघटा, तहसील –बरही,जिला –कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बहिरघटा रेत खदान, दिनांक- 10/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गूढाकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -2,90,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,90,700 घनमीटर/वर्ष है। परंतु दक्षिण पूर्व दिशा में 746 मीटर पर ब्रिज परिलक्षित है एवं ब्रिज से नियमानुसार 1 किलोमीटर दूरी छोड़ने पर 8.65 हेक्टेयर क्षेत्र खनन योग्य बचता है जिसमें अधिकतम 3.0 मीटर के गहराई तक खनन करने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,59,500 घनमीटर रहेगी ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.150 हे.	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन मील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सकरीगढ़ जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/01/2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	उमरार नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	13/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-03 एवं पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गुगल इमेज के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में 746 मीटर पर ब्रिज परिलक्षित है साथ ही कुछ

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

भाग पानी में डूबा हुआ है। उपरोक्त हेतु सेटबेक के बाद नॉन माईनिंग एरिया 7.50 हे. छोड़ने पर 8.65 हेक्टेयर क्षेत्र खनन योग्य बचता है जिसमें अधिकतम 3.0 मीटर के गहराई तक खनन को दृष्टिगत रखते हुये रेत उत्खनन अधिकतम वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,59,500 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -2,59,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 32.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 8.88 लाख प्रति वर्ष।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(8050X150 = ₹12,07,500)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(350X500= ₹ 1,75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(11000X50 = ₹ 5,50,000)	
		19,32,500	1,50,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (135 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,35,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 154	1,30,000	26,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass	5,000	1,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 154 Labors -154× 500 × 2)	-	1,54,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 154workers - 154 × 1500)	2,31,000	25,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	25,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 4,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	4,00,000	40,000
	Total	32,39,500	8,88,000

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 4.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम बहिरघटा में रोड लाईट के लिए ।	1,00,000
सी.ई.आर मद से 3,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बहिरघटा के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	3,00,000
प्रत्येक छह माह में 60,000 रुपये की राशि से ग्राम बहिरघटा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें ग्रामवासियों के मधुमेह, रक्तचाप	60,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

एवं मलेरिया, डेंगू जेसी बीमारियों की निशुल्क जांच की जावेगी	
कुल	4,60,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 11000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	8050
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	350
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	11000
कुल			19400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41.11285/2024 Shri Omkar Dubey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Nasipur River Sand Quarry in an area of 6.40 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 448), Village-Nasipur, Tehsil-Keolari, District-Seoni (MP) [IA/MP/MIN/471334/2024]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री ओमकार प्रसाद दुबे (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ओमकार प्रसाद दुबे कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 448 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 06.40 हे.
स्थल	ग्राम – नसीपुर, तहसील –केवलारी, जिला – सिवनी(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्डनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नसीपुर रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नसीपुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 36,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 397 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 5.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.40 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 397 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 397 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नसीपुर जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 03/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	धनई नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-39 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.-41 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22 / 03 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में अप स्ट्रीम में लगभग 508 मी. की दूरी पर एक रोड ब्रिज है इस संबंध में संबंधित विभाग से रोड ब्रिज के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। खदान के आसपास कोई संरचना नहीं है। अतः सशर्त रेत की उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

- प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
 9. लीज क्षेत्र से 508 मी. की दूरी पर स्थित रोड ब्रिज के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सिया में प्रस्तुत करें।
 10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.53 लाख प्रति वर्ष ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		8,07,500
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3550X150= ₹5,32,500)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹	
			1,68,732

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

		75,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4000X50 = ₹ 2,00,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (17 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--		17,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 17	20,000		2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000		3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000		1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 17 Labors -17× 500 × 2)	-		17,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000		2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 17 workers – 17 × 1500)	25,500		6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000		5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000		2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000		5,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 50,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	50,000	5000
Total		12,89,500/-	4,53,732/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम नसीपुर के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम नसीपुर के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,00,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	3550
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार	150

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

		वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4000
कुल			7700
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

42.11289/2024 Shri Omkar Dubey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Jogiwada-Gwari River Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 01, 352), Village-Gwari, Jogiwara, Tehsil-Kurai, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री ओमकार प्रसाद दुबे (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ओमकार प्रसाद दुबे कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 352, 01 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00हे.
स्थल	ग्राम – जोगीवाड़ा-ग्वारी, तहसील –कुरई, जिला – सिवनी(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जोगीवाड़ा-ग्वारी रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जोगीवाड़ा-ग्वारी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 30,000 घनमीटर/वर्ष है। परंतु उत्तर-पूर्व दिशा दिशा में 109 मीटर पर ब्रिज परिलक्षित है एवं ब्रिज से नियमानुसार 1 किलोमीटर दूरी छोड़ने पर 4.20 हेक्टेयर क्षेत्र खनन योग्य बचता है जिसमें 0.5 मीटर के गहराई तक खनन करने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर रहेगी ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

	प्रमाण-पत्र क्रमांक 3951A दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3951A दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3951A दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्वारी जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नेवरी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-39 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-40 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 103 मी. की दूरी पर एक रोड ब्रिज है, तथा ब्रिज से 01 कि.मी का सेट बैक देने के उपरांत 4.2 हे. माईनेबल एरिया खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः रेत की उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –21000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 34.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 6.00 लाख प्रति वर्ष।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500 m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(6800X150 = ₹10,20,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5000X50 = ₹ 2,50,000)	
		13,70,000	3,19,212
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (14 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	14,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 17	20,000	2,000

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 17, Labors -17× 500 × 2)	-	17,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 17workers - 17× 1500)	25,500	5,100
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 50,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	50,000	5000
Total		34,72,000/-	6,00,312/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई. आर. गतिविधि			
सी.एस. आर. मद से ग्राम जोगीवाड़ा-ग्वारी में निम्नलिखित कार्य किये जायेगे।			
साल	संस्था का नाम	सामग्री	राशि

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

1	शासकीय स्कूल जोगीवाड़ा-ग्वारी में	बच्चों के लिये पुस्तकें, स्टेशनरी, क्रीडा सामग्री एवं स्कूल के लिये फर्नीचर	50,000
2	आंगनवाडी केन्द्र ग्राम जोगीवाड़ा-ग्वारी	बच्चों के लिये पोषण आहार एवं खिलौनों का वितरण	50,000
योग			1,00,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2650 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3000
कुल			5650
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन		

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र -

1. Case No 10659/2023 Shri Ajay Pal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Garhi (Malhara) 3 Pyrophyllite & Diaspore Mine in an area of 2.791 ha. (5396 TPA) (Khasra No. 303, 304, 305/2, 306), Village- Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur.DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया -

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग फैंसिंग पाई गई है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की	Out of 950 trees to be planted till Conceptual period, 300 tree [25%] were planted till year 2022-23 and additional 100

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	trees have been planted during current FY 2023-24. Plantation work has been done in 7.5 m barrier zone of ML area. Besides this, plantation has been done outside ML area along with transportation route. Plantation photographs with its Google image shown.
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	The garland drain has been constructed around mine lease connected to settling tank. The details are as under:- Settling tank – 10.0 m x 5.0 m x 2.0 m [1 settling tank]• Sump-30 m x 20m x 3m = 1800 cum• Garland Drain - 100 m x 1m x 0.5m= 50 cum•
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के अन्दर डम्प नहीं पाया गया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	The CSR activities such as organization of medical camp, financial aid for school development, water supply in public functions and marriages during summer seasons and plant distribution have been conducted in coordination of Nagar Parishad and as per their requirement. The Nagar Parishad letter and concerned person/official letter stating about CER work Presented.
कोई अन्य शर्त	Plants has been distributed under CER. The plants distribution photographs along with List with name of villager's, mobile number and number of plant is furnished
अपलोडेड गूगल इमेज के अनुसार संवेदनशील बिन्दु	पश्चिम दिशा— पक्का रोड 468 मी.एवं लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं।
No dumping has been done. The waste Generated has been used for preparation of Bund in Boundary, Road Maintenance and Plantation.	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 5396 टीपीए ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 4.26 लाख प्रति वर्ष ।

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

के स्थान पर

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग फैंसिंग कार्य लगभग 70 प्रतिशत पाई गई है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	The garland drain has been constructed around mine lease connected to settling tank. The details are as under:- Settling tank – 10.0 m x 5.0 m x 2.0 m [1 settling tank]• Sump-30 m x 20m x 3m = 1800 cum• Garland Drain - 100 m x 1m x 0.5m= 50 cum•
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के अन्दर डम्प नहीं पाया गया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	The CSR activities such as organization of medical camp, financial aid for school development, water supply in public functions and marriages during summer seasons and plant distribution have been conducted in coordination of Nagar Parishad and as per their requirement. The Nagar Parishad letter and concerned person/official letter stating about CER work Presented.
कोई अन्य शर्त	Plants has been distributed under CER. The plants distribution photographs along with List with name of villager's, mobile number and number of plant is furnished
अपलोडेड गूगल इमेज के अनुसार संवेदनशील बिन्दु	पश्चिम दिशा– पक्का रोड 468 मी.एवं लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं।
No dumping has been done. The waste Generated has been used for preparation of Bund in Boundary, Road Maintenance and Plantation.	

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4. पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

2. Case No 10862/2023 Shri Rahul Patel, Lessee, R/o Jay Prakash Ward, Betulganj, District-Betul (MP)-460001 Prior Environment Clearance for Bothiya Brahamanwada Stone Quarry in an area of 0.75 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 144/1), Village-Bothiyadhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP).

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-50,704 टीपीए उल्लेखित हो गया था जबकि Stone-5700 cum per year होना चाहिए था।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता अधिकतम डोलोमाइट-50,704 टीपीए के स्थान पर Stone-5700 cum per year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ० जयप्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 38. **केशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

- maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मई 2024

24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

- Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area” with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under “Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle’s health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP’s commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		

755 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2024

4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद
----	--

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -
(In addition to Standard TOR)

1. **EIA for Cluster** : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. **Plantation scheme** : Show numbers and species in tabular form
 - A- Government land
 1. In barrier Zone
 2. In non mining area (set back)
 3. Along evacuation route
 4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
 5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
 - B- In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
 - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
 - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. **Set Back** – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.

- | | |
|----------------------|--|
| 5. Railway line | 18. Catchment area |
| 6. Wind mills | 19. Stocked root (Area having) |
| 7. Agriculture land | 20. Nearby Biodiversity rich area. |
| | 21. Water conservation structures, stop dams |
| 8. Natural drainage | 22. Trees inside the mine |
| 9. Nala/ river | 23. Other Habitation |
| 10. Habitation, | 24. Electric high tension line |
| 11. Wells, Temples | 25. Bridges /Culverts |
| 12. Other structures | 26. Electric pole/Tower , Shamshan |
| | 27. RET species (Rare endangered and Threatened) |
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any,
4. For blasting or for non blasting: if mine lease area within-
1. 250 m. of forest land
 2. ESZ areas , Buffer area
 3. If private land : Own/Agreement
 1. OWN
 2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 3. Cost benefit ratio
 4. If grass land : grass land development & maintenance
 5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.
- Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. **In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) **If – Crusher & M-sand plantis in mining area**

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities
6. Distance from mines area in the following public places
 1. Habitation
 2. School
 3. Health centre
 4. other public places
 5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

- (A) If - mines in PESA areas
- full fill the all PESA related requirements
 - if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9
- (B) If- within the 500 mt. radius- existing mines
- owner name
 - area
 - Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.
- (C) If M-sand proposed within 500 m of radius
- place on surface map
 - slurry management
 - Water requirement : Quantity & source
- (D) If excavation route lies on private land
- the permission of land owner for transportation.
- (E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.
1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³/yr without crusher
 2. murum- 20,000 m³/yr
 3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney
- (F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface lan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) It there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member
(SEAC)**

**Chairman
(SEAC)**